

प्रकाशन क्र.

शासकीय उपयोग हेतु



गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन



आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय ईकाई, बरतर-जगदलपुर (छ.ग.)

गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन

मार्गदर्शन : आशीष कुमार भट्ट, आई.एफ.एस.

निर्देशन : एम. एल. पंसारि

अध्ययन एवं प्रतिवेदन : डॉ. रुपेन्द्र कवि

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
क्षेत्रीय ईकाई, बरतार-जगदलपुर (छ.ग.)

अनुक्रमणिका

अध्याय	क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
अध्याय — 1	पृष्ठभूमि	1—7
अध्याय — 2	भौतिक संस्कृति	8—24
अध्याय — 3	जीवन संस्कार	25—33
अध्याय — 4	सामाजिक संरचना	34—47
अध्याय — 5	राजनीतिक संगठन	48—52
अध्याय — 6	धार्मिक जीवन	53—60
अध्याय — 7	लोक परम्परायें	61—63
अध्याय — 8	आर्थिक जीवन	64—75
अध्याय — 9	शैक्षणिक स्थिति	76—78
अध्याय — 10	परिवर्तन एवं समस्याएं	79—85

अध्याय - एक

पृष्ठभूमि

1.1. प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या का कुछ भाग शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से दूर वन, पहाड़ों, घाटियों तराईयों तथा तटीय क्षेत्रों में विशिष्ट जीवन शैली, रहन-सहन, संस्कृति को अपनाये हुए निवासरत् है। बाह्य समाज इन्हें नेटिव, वनवासी, वन्य जनजाति, देशज, आदिमजनजाति, जनजाति, आदिवासी आदि नामों से पहचान करता है जबकि उन समुदायों का विशिष्ट नाम, निवास क्षेत्र, विशिष्ट संस्कृति पायी जाती है। राष्ट्र की स्वतंत्रता के पश्चात् भारतीय संविधान में इन समाजों के विकास की दृष्टि से एवं राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष विकासीय प्रावधान किये गये। संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत भारत सरकार द्वारा राज्यों के अनुसूचित जनजाति समूह की सूची जारी किया गया। इन सूचीबद्ध अनुसूचित जनजातियों के समग्र विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक तथा क्षेत्रीय विकास कार्यक्रमों का सृजन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है।

1 नवम्बर 2000 को गठित छत्तीसगढ़ राज्य लिए मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में छत्तीसगढ़ हेतु 42 जनजाति समूह को अनुसूचित जनजाति के रूप में शामिल किया गया है। इस सूची में गोंड जनजाति अनुक्रमांक 16 पर अंकित है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ तथा मध्यभारत के सभी राज्यों में निवासरत् है। गोंड जनजाति के विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के साथ ही प्रायः सभी जिलों में बस्तर संभाग (वर्तमान एवं पड़ोसी जिलों) में हैं।

1.2 अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्य निम्न हैं—

1. गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय (सामाजिक-आर्थिक-सांस्कृतिक) अध्ययन करना।
2. गोंड जनजाति में विकास एवं परिवर्तन का अध्ययन करना।

1.3 अध्ययन प्रविधि

1. ग्राम एवं परिवार चयन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के गोंड जनजाति बहुल ग्रामों में क्षेत्रीय अध्ययन कार्य किया गया। उद्देश्य मूलक विधि से बस्तर संभाग के गोंड जिले कांकेर व कोण्डागॉव का चयन किया गया इनमें से 10 ग्रामों का चयन किया गया एवं प्रत्येक ग्रामों से दैव निदर्शन विधि से 20-20 परिवारों का चयन कर बस्तर संभाग के 10 ग्रामों में निवासरत् 200 परिवारों का अध्ययन किया गया।

2. तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत अध्ययन हेतु प्राथमिक तथ्यों का संकलन अर्धसहभागी अवलोकन, साक्षात्कार, वंशावली तथा अनुसूची प्रविधि द्वारा किया गया। पारिवारिक सूचनाओं के संकलन हेतु परिवार अनुसूची तथा सामुदायिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार निर्देशिका का उपयोग किया गया।

द्वितीयक तथ्यों का संकलन प्रकाशित शोध ग्रंथो, जनगणना तथा शासकीय प्रतिवेदनों से किया गया तत्पश्चात् प्राप्त तथ्यों का संपादन, विश्लेषण एवं सारणीयन कर प्रतिवेदन लेखन किया गया।

1.4 गोंड जनजाति : परिचय एवं उत्पत्ति

गोंड जनजाति एवं उत्पत्ति के संबंध में स्पष्ट जानकारी का अभाव है। Russel and Hiralal (1916)- "The Tribes and Castes of Central Provinces of India- (Vol-03)" के पृ.क.41-43 में गोंड जनजाति का विवरण निम्नांकित है:-

The Principal tribe of the Dravidian family, and perhaps the most important of the non- Aryan or forest tribes in India.

In the Central provinces the Gonds occupy two main tracts. The first is the wide belt of broken hill and forest country in the centre of the Province, which forms the Satpura Plateau, and is mainly comprised in the Chhindwara Betul, Seoni and Mandla Districts, With portions of several others adjoining Them. And the second is the still wider and more

inaccessible mass of hill ranges extending south of the Chhattisgarh plain and south-west down to the Godavari, which includes portions of the three Chhattisgarh Districts, the Bastar and Kanker states, and a great part of chanda. In Madla the Gonds form nearly half the population, and in bastar about two-thirds. There is, however, no District of state of the province which does not contain some Gonds, and it is both an account of their numbers and the fact that Gond dynasties possessed a great part of its area that the territory of the Central Provinces was Formely known as Gondwana, or the country of the Gonds.

The derivation of the word Gond is uncertain. It is the name given to the tribe by the Hindus of Muhammadans, as their own name for themselves is Koitur or Koi.

Mr. Hislop considered that the name Gond was a form of Kond, as he spelt the Name of The Khond tribe. He Pointed out that *k* and *g* are interchangeable.'

The name by which the Gonds call themselves is koi or koitur, while the khonds call themselves Ku, which word sir G.Grierson Considers to be probably related to the Gond name koi. Further, he states that the telugu people call the Khonds, Gond or kod (kor).

(गोंड द्रविड़ीयन परिवार के सबसे प्रमुख जनजाति है। जिसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि यह गैर आर्यन है अथवा भारत की जंगल/वन में निवास करने वाले जनजाति है।

मध्यप्रांत में गोंड ने दो मुख्य क्षेत्र को अधिग्रहित किया है। पहला—मध्य प्रांत के सतपुड़ा का पठार जो मुख्यतः छिदवाड़ा, बैतूल, शिवनी एवं मंडला जिले व समीपस्थ क्षेत्र के वन तथा पहाड़ का विस्तृत क्षेत्र फैला हुआ है तथा दूसरा भाग अधिक विस्तृत तथा पहुंच विहिन पर्वत श्रृंखलाओं में फैला हुआ है यह छत्तीसगढ़ के मैदान के दक्षिण तथा गोदवारी के दक्षिण—पश्चिम के निचले क्षेत्र तक है। जिसमें छत्तीसगढ़ के तीन जिले, बस्तर तथा कांकेर रियासत एवं चांदा का ऊपरी भाग सम्मिलित है।

गोंड, मंडला में कुल जनसंख्या के आधे तथा बस्तर में यह दो-तिहाई है। इस क्षेत्र में प्रांत का कोई भी ऐसा जिला या रियासत नहीं है, जिसमें गोंड की कुछ जनसंख्या निवास न करती हो। गोंड वंश का बड़ा क्षेत्र मध्य प्रांत के अंतर्गत आता है जिसे सामान्यतः गोंडवाना या गोंडो का राज्य के नाम से जाना जाता है।

गोंड शब्द की उत्पत्ति अस्पष्ट है। इस जनजाति को यह नाम हिन्दू या मुसलमानों द्वारा दिया गया है। उनका अपना नाम "कोयतूर" या कोई है। मिस्टर हिस्लाप ने स्पष्ट किया कि गोंड सम्बोधन कोंड का एक रूप है। जिसमें 'क' परिवर्तित होकर 'ग' हो गया है।

गोंड स्वयं को 'कोई' या 'कोयतूर' सम्बोधित करते हैं। सर जी. ग्रीगसन ने— स्पष्ट किया है यह शब्द गोंड जाति के नाम 'कोई' से संबंधित है। आगे उन्होंने लिखा है कि तेलंगू व्यक्ति गोंड या कोड (Kor) से सम्बोधित करते हैं।

1.5 बोली

गोंड जनजाति के सदस्य "गोंडी" बोली का प्रयोग करते हैं। यह बोली द्रविड़ीयन भाषा परिवार के अंतर्गत आती है।

1.6 जनसंख्या

1. कुल परिवार

गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में निवासरत है। गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु चयनित कुल सर्वेक्षित परिवारों की संख्या सारणी क्रमांक 1.1 में प्रदर्शित है—

सारणी क्रं. 1.1 सर्वेक्षित परिवारों का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	परिवार	
				संख्या	प्रतिशत
1	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कूल्हाडकट्टा	20	10.00
2			चिंचगाँव	20	10.00
3			घोठा	20	10.00

4		अन्तागढ़	तुमापाल	20	10.00
5			पोडगॉव	20	10.00
6			कानागॉव	20	10.00
7			टेमरूपानी	20	10.00
1	कोण्डागॉव	केशकाल	बिंझे	20	10.00
2			चिखलाडीह	20	10.00
3			तोडासी (छुईपारा)	20	10.00
			कुल योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि "गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन" हेतु चयनित कुल 200 सर्वेक्षित बस्तर के गोंड परिवारों में से कांकेर जिला के 140 व कोण्डागॉव जिला के 60 परिवार है। जिसमें क्रमशः कूल्हाडकट्टा, चिंचगॉव, घोठा, तुमापाल, पोडगॉव, कानागॉव, टेमरूपानी, बिंझे, चिखलाडीह व तोडासी (छुईपारा) ग्रामों के 20-20 परिवारों का अध्ययन किया गया है।

1. कुल जनसंख्या

गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग में निवासरत है। गोंड जनजाति का मानवशास्त्रीय अध्ययन हेतु किये गये सर्वेक्षण के अनुसार सर्वेक्षित परिवारों में गोंड जनजाति की जनसंख्या सारणी क्रमांक 1.2 में प्रदर्शित है -

सारणी क्रं. 1.2 सर्वेक्षित परिवारों में जनसंख्या का विवरण

क्र.	जिला	विकासखण्ड	ग्राम	जनसंख्या		योग	
				पुरुष	महिला	संख्या	प्रतिशत
1	कांकेर	भानुप्रतापपुर	कूल्हाडकट्टा	51	53	104	10.14
2			चिंचगॉव	51	55	106	10.33
3			घोठा	45	46	91	8.87
4		अन्तागढ़	तुमापाल	52	56	108	10.53
5			पोडगॉव	48	49	97	9.45

6			कानागॉव	42	43	85	8.28
7			टेमरूपानी	57	55	112	10.92
1	कोण्डागॉव	केशकाल	बिंझे	60	54	114	11.11
2			चिखलाडीह	49	54	103	10.04
3			तोडासी (छुईपारा)	50	56	106	10.33
			कुल योग	505	521	1026	100.00

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि गोंड जनजाति की कुल सर्वेक्षित जनसंख्या 1026 में से 49.22 प्रतिशत जनसंख्या पुरुष व 50.78 प्रतिशत स्त्री जनसंख्या है। जिसमें से सर्वाधिक 11.11 प्रतिशत ग्राम बिंझे विकासखण्ड केशकाल जिला कोण्डागॉव तथा न्यूनतम 8.28 प्रतिशत ग्राम कानागॉव विकासखण्ड अन्तागढ़ जिला कांकेर में है। गोंड जनजाति में लिंगानुपात अर्थात् प्रति हजार पुरुषों पर 1031 महिलाएं पाई गईं।

2. सर्वेक्षित जनसंख्या

सर्वेक्षित गोंड जनजाति परिवारों की जनसंख्या सारणी क्रमांक 1.3 में दर्शाया गया है।

सारणी क्रं. 1.3 सर्वेक्षित गोंड परिवारों में जनसंख्या का विवरण

क्र.	व्यक्तियों की संख्या	योग	प्रतिशत
1	पुरुष	505	49.22
2	महिला	521	50.78
	योग	1026	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 200 सर्वेक्षित गोंड परिवारों में कुल 1026 सदस्य निवासरत हैं जिसमें 49.22 प्रतिशत(505) पुरुष व 50.78 प्रतिशत(521) महिला सदस्य हैं।

3. उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या

सर्वेक्षित गोंड जनजाति परिवारों की उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या सारणी क्रमांक 1.4 में दर्शाया गया है।

सारणी क्रं. 1.4 सर्वेक्षित परिवारों में उम्र-लिंग अनुसार जनसंख्या विवरण

क्र	उम्र समूह	संख्या					प्रतिशत
		पुरुष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल योग	
1	0-6	43	8.51	48	9.21	91	8.87
2	6-14	98	19.41	104	19.96	202	19.69
3	14-18	87	17.23	83	15.93	170	16.57
4	18-35	137	27.13	144	27.64	281	27.39
5	35-50	120	23.76	127	24.38	247	24.07
6	50-60	19	3.76	14	2.69	33	3.22
7	60+	1	0.20	1	0.19	2	0.19
	योग	505	100.00	521	100.00	1026	100.00

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि गोंड जनजाति की कुल सर्वेक्षित जनसंख्या 1026 में से सर्वाधिक 27.39 प्रतिशत जनसंख्या 18 से 35 वर्ष उम्र समूह का है जबकि न्यूनतम 0.19 प्रतिशत 60 वर्ष या अधिक उम्र समूह का है। पुरुष वर्ग में सर्वाधिक 27.13 प्रतिशत जनसंख्या 18 से 35 वर्ष उम्र समूह का है जबकि न्यूनतम 0.20 प्रतिशत 60 वर्ष या अधिक उम्र समूह का है। उसी तरह महिला वर्ग में सर्वाधिक 27.64 प्रतिशत जनसंख्या 18 से 35 वर्ष उम्र समूह का है जबकि न्यूनतम 0.19 प्रतिशत 60 वर्ष या अधिक उम्र समूह का है।

4. लिंगानुपात

सर्वेक्षित गोंड जनजातीय परिवारों में लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 1031 महिलाएं पाई गई है।

अध्याय -दो

भौतिक संस्कृति

गोंड जनजातीय समुदाय, बस्तर संभाग के पूर्वी मैदानी तथा वन क्षेत्रों में यथा सर्वत्र निवास करती है, इस कारण उनके सामाजिक – आर्थिक – सांस्कृतिक भौतिक संस्कृति में पर्यावरण व प्रकृति का प्रभाव दिखाई देता है। गोंड जनजाति की भौतिक संस्कृति निम्न है :-

2.1 ग्राम

गोंड जनजाति के ग्राम नदी-नाला एवं वन के समीप बसा हुआ है। गोंड जनजाति के सदस्य ग्राम में मुरिया, हलबा, धुरवा, माहरा, गांडा, पनका, राउत आदि जनजाति के साथ निवास करते हैं, किन्तु इनके मुहल्ले पृथक हैं।

गोंड ग्रामों की बनावट गोलाकार या दीर्घवृत्तीय है, जिसमें एक चौड़ा कच्चा मुख्य मार्ग होता है, जिससे कई गलियां अलग-अलग मुहल्ले में जाती है। गलियों के दोनों ओर मकान होते हैं। गोंड ग्रामों में आम, इमली, साल, महुआ, बरगद, पीपल, नीम, जामुन आदि के वृक्ष पाये जाते हैं।

ग्राम के मुख्य या मध्य स्थल में सांस्कृतिक भवन, सामुदायिक भवन, बाजार, स्कूल, शासकीय अस्पताल, राशन दुकान आदि स्थित होते हैं। ग्राम के किनारे या मध्य में देवगुड़ी होता है, जिसमें ग्राम देवी-देवता की मूर्ति स्थापित होती है। शमसान बस्ती से बाहर नदी या नाले के समीप होता है। पूर्व में गोंड जनजाति के सदस्य लकड़ी से निर्मित कुंआ, ढोड़गी, नदी-नाले का पानी पीते थे, वर्तमान में हैण्डपम्प एवं नल (पाईप लाईन) के जल का उपयोग करने लगे हैं।

2.2 आवास

गोंड जनजाति का आवास चारों ओर से लकड़ी के खंबे या झाड़ियों या बांस की बाड़ी या मिट्टी की चारदीवारी से घिरा होता है। सामने की ओर आंगन रहता है, जिससे लगा हुआ मुख्य घर व थोड़ा दूर में “कोठा” (पशु शाला) तथा “छेली कोठरली” (बकरी रखने का कक्ष) होता है। आंगन में ही “कुकड़ा कोंटी” (मुर्गा-मुर्गी

रखने का स्थान) “बराहागुड़ा” (सुअर रखने का स्थान) होता है। गोंड आवास में पाये जाने वाले विवरण निम्नानुसार है :-

अ. परछी (बरमदा)

गोंड जनजाति के आवास में आंगन से घर में प्रवेश करने पर प्रथम कक्ष “परछी” होता है, यह लम्बा होता है। इसके दो भाग होते हैं। एक भाग में “रसोई” तथा दूसरे भाग में बैठक तथा दैनिक कार्यों के निष्पादन हेतु स्थान होता है। इससे लगा दो “कोली” (कमरा) होता है।

ब. प्रथम कमरा —

इसके दो भाग होते हैं एक भाग में भंडारण हेतु धान कोठी तथा दूसरे भाग में देवी-देवता का चबूतरा होता है।

स. द्वितीय कमरा—

यह शयन कक्ष होने के साथ-साथ कपड़े व अन्य सामान रखने का कमरा होता है।

2.2.2 आवास निर्माण — आवास निर्माण की निम्न प्रक्रिया है —

अ. भूमि चयन —आवास निर्माण हेतु पानी, आवागमन तथा बाड़ी हेतु पर्याप्त जगह देखकर घर बनाने हेतु स्थल चयन करते हैं तथा चयनित भूमि को पेरमा पुजारी, सिरहा (बैगा) या गुनिया को शुभाते हैं अर्थात् चयनित भूमि पर आवास निर्माण करने से परिवार पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव का आंकलन करवाते हैं। चयनित भूमि की उपयुक्तता जांच करने हेतु चयनित स्थल में एक हाथ लम्बा, चौड़ा तथा गहरा गड्ढा खोदकर पानी भर देते हैं, यदि पानी देर से सूखता है तो शुभ मानते हैं और यदि पानी जल्दी सूख जाता है तो उस भूमि को आवास निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं मानते हैं। आवास “डांड” (ग्रामीणों के अनुसार देव/देवी के आगमन का मार्ग) को छोड़कर बनाया जाता है। परिवार में सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार आवास बनाया जाता है।

ब. निर्माण — आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व परिवार का मुखिया सिरहा या 'पेरमा' /पुजारी की सहायता से घर के ईंट देवता एवं धरती की चाँवल, नारियल, सिंदूर (लाली), दीप, होम, धूप से पूजा करता है। गोंड जनजाति के आवास का मुख्य द्वार दक्षिण या उत्तर दिशा में बनाते हैं। आवास में प्रवेश एवं निकास के लिये एक ही द्वार होता है।

आवास निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व एक स्थान पर आम की लकड़ी का खूँटा गाड़ देते हैं, यह आम की लकड़ी का खूँटा पूजा कक्ष हेतु तय स्थान पर ही गड़ाते हैं। इसके पश्चात् भूमि पर रस्सी एवं फावड़े की सहायता से नींव हेतु निशान चिह्नित कर लिया जाता है तथा पानी डालकर फावड़े की सहायता से $1\frac{1}{2}$ से 2 फीट गहरा "पाया" (नींव) खुदाई करते हैं। इसके पश्चात् मिट्टी में धान का "खड़" (पैरा या पुआल) एवं पानी मिलाकर पैर से दबाते हैं तथा अच्छी तरह मिल जाने के बाद मिट्टी का गोला बनाकर नींव को भरते हैं तथा पैर से दबाते हैं। नींव भरने के बाद चारों ओर लगभग एक फिट ऊंची दीवार बनाते हैं और अंदर मिट्टी भर देते हैं, यह घर के फर्श का स्तर होता है। फर्श के सतह से दीवार बनाते हैं और चौखट लगाते हैं।

फर्श की सतह से लगभग तीन-चार फीट ऊपर छोटी खिड़की लगाते हैं। दीवार में अंदर की ओर आवश्यकतानुसार "आला" बनाते हैं। दीवार इच्छित ऊंचाई तक पहुँचने के बाद गोल या चौकोन लकड़ी की "पाटी" रख दिया जाता है, इसके ऊपर निश्चित दूरी पर 'कांडा' लगाकर उसके ऊपर पतला बांस या लकड़ी लगाते हैं, इसे रस्सी या कीले की सहायता से लगाते हैं। इसके ऊपर खपरे को "छां" (ढक) दिया जाता है। पूर्व में बासं या झाड़ियों की बाड़ या बाड़ी बनाकर उसमें दोनों ओर मिट्टी छाबकर दीवार बनाते थे।

यदि दूमंजिला पटाव युक्त आवास निर्माण करना है तो चौखट के ऊपर आवश्यकतानुसार "पाटी" की लकड़ी दूसरे दीवार तक लगाते हैं और "पाटी" के ऊपर आड़ी लकड़ी डालकर मिट्टी से पाट देते हैं और दीवार के ऊपर दीवार बनाते हैं। इसके बाद दीवार या कमरे में आवश्यक खिड़की तथा चौखट लगाकर वांछित

ऊंचाई के बाद “पाटी”, “कांडा”, तथा बांस या “बत्ता (लकड़ी) लगाकर “खपरे” से छत छा (ढंक) देते हैं। पूर्व में छत को सुकली खड़, पैरा, छिंद खड़ या दाब खड़ से छा (ढंक) देते थे। दीवार को चिकना या समतल बनाने या दरार से बचाने हेतु लाल मिट्टी से छाबते हैं तथा सूखने के पश्चात् क्रमशः गोबर व काली मिट्टी से तथा अंत में छुई मिट्टी से दीवारों की पुताई करते हैं। फर्श को गीली मिट्टी से समतल करते हैं तथा सूखने के पश्चात् गोबर से लीपते हैं।

स. सजावट—आवास की आंतरिक एवं बाह्य सजावट हेतु मिट्टी, गोबर एवं दीवार की पुताई हेतु छुई, गेरू माटी एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है। आवास की आंतरिक सज्जा हेतु आला के चारों ओर मिट्टी की चौड़ी पट्टी होती है, जिस पर दीवार के रंग को अलग रंग की पुताई की जाती है, दीवार से फर्श के किनारे तक सफेद, काले—नीले रंग की पुताई किया जाता है व फर्श पर गोबर लीपकर किनारे पर पट्टी बनाकर आंतरिक सज्जा किया जाता है। बाह्य दीवारों पर मिट्टी थोपकर पशु—पक्षी, पत्तियों, चांद—तारे आदि सजावटी आकृतियों को बनाया जाता है। कुछ घरों में मुख्य द्वार के चारों ओर मिट्टी थाप कर आकर्षक सजावटी आकृति बनाया जाता है, जिसे दीवार के रंग से अलग रंग पुताई कर सुन्दर बनाया जाता है।

द. गृह—प्रवेश — आवास निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् सिरहा व पेरमा (पुजारी) से सलाह लेकर गृह प्रवेश करते हैं। पेरमा पुजारी घर की भीतरी कक्ष “डूमाघर” में पूर्वज व गोत्र देवी—देवता की पूजा करवाता है और बलि देता है। पूजा के उपरांत पूजा से प्राप्त प्रसाद, मांस व शराब का सेवन करते हैं तत्पश्चात् नये घर में रहने लगते हैं।

वर्षाकाल में आवास के बाहरी दीवार, नीचे की मिट्टी, रंग खराब हो जाता है, जिसे शीत ऋतु में मरम्मत, लिपाई—पुताई किया जाता है।

इ. आवास व्यवस्था — गोंड जनजाति के आवास के सामने आंगन होता है। किसी किसी घर में आंगन के एक किनारे मिट्टी का “चौरा” (चबूतरा) होता है, जिसमें बांस या त्रिशूल या पत्थर की मूर्ति होती है, जिसमें समय—समय पर धूप, अगरबत्ती, सिंदूर से पूजा किया जाता है। आंगन की मुख्य द्वार से “परछी” में प्रवेश करते हैं। “परछी”

बैठक कक्ष व भोजन कक्ष के रूप में उपयोग करते हैं। “परछी” के एक कोने में “ढेकी” (धान कुटने का यंत्र), जाता (दाल पीसने का यंत्र), “मूसर” लगा होता है। गोंड जनजाति के कुछ लोग घरों में “परछी” के कोने को रसोई पकाने में उपयोग करते हैं।

“परछी” से लगा हुआ रसोई सह भंडार कक्ष के एक भाग में अनाज भंडार हेतु “कोठी” होता है। इसे बनाने हेतु 2-3 फीट ऊंचे खम्बे गाड़ कर उस पर आड़ी लकड़ियाँ रखकर मंच बना लेते हैं तथा चौकोन आकार में मिट्टी की दीवार बनाकर कमरानुमा “कोठी” बना लेते हैं, जो ऊपर की ओर खुला रहता है। “कोठी” के समीप में देवी-देवता का चबूतरा होता है। जिसे देवघर या डूमाघर भी कहते हैं यहाँ अपने पितृ पूर्वजों की व लिंगो देव की पूजा की जाती है। दूसरे भाग में मिट्टी का चूल्हा होता है। चूल्हे से थोड़ी दूर में दैनिक उपयोगी खाद्य सामग्री, मसालों आदि को रखा जाता है। “परछी” से ही शयनकक्ष में प्रवेश करते हैं। इसमें शयन के साथ-साथ दैनिक उपयोगी वस्तुओं को रखा जाता है। इस कक्ष में कपड़े व अन्य आवश्यक सामानों को भी रखा जाता है।

फ. स्वच्छता एवं सफाई — घर की दैनिक एवं विशिष्ट अवसरों पर साफ-सफाई किया जाता है। प्रातः स्त्रियाँ आंगन को झाड़ू से बुहारती हैं। गोबर को पानी में घोल कर आंगन में ‘छड़ा’ (छिड़कना) लगाती हैं। घर को दिन में दो बार सुबह व शाम बुहारते हैं तथा साप्ताहिक गोबर पानी के घोल से लीपती हैं। पशुशाला के गोबर को घर से थोड़ी दूर में बने गोबर गड्ढे में फेंककर झाड़ू बुहार कर साफ करती हैं।

घर के दीवारों की पुताई, अमुस, पण्डुम, धाननुआ, दियारी आदि त्यौहारों तथा विवाह आदि उत्सवों से पूर्व किया जाता है।

2.2.3 आवास के प्रकार

सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित परिवारों में पाये गये आवास के प्रकार का विवरण निम्नानुसार है:—

सारणी क्रं. 2.1 सर्वेक्षित परिवारों के आवास विवरण

क्रं.	आवास के प्रकार	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	190	95.00
2	पक्का	-	-
3	अर्धपक्का	10	5.00
	योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण के दौरान सर्वेक्षित परिवारों में पाये गये आवास के प्रकार में से अधिकांश 95 प्रतिशत आवास कच्चे हैं, न्यूनतम 05 प्रतिशत आवास अर्धपक्के हैं। जबकि एक भी पक्का आवास नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट है कि गोंड जनजातीय सदस्य अपने निवास हेतु आस-पास के पारंपरिक साधनों से ही अधिकांश कच्चा आवास निर्मित करते हैं।

2.3 व्यक्तिगत स्वच्छता एवं श्रृंगार

गोंड जनजाति के सदस्य प्रातः काल शौच जाते हैं। शौच घर से दूर मैदान या वन में जाते हैं। शौच के पश्चात् पानी से अंगों को साफ कर हाथों की सफाई मिट्टी से करते हैं, कुछ परिवार राख, साबुन का उपयोग कर रहे हैं।

शौच से आने के पश्चात् “सरगी” (साल), छींद, करंज, नीम या अन्य दातौन से दांतों की सफाई करते हैं। वर्तमान में अनेक सदस्य दांतों की सफाई हेतु दंत मंजन, गुड़ाखू तथा टूथ ब्रश-पेस्ट उपयोग करने लगे हैं।

प्रातः काल दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात् गोंड पुरुष-महिला सदस्य अपने कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। वे शीत ऋतु में अनियमित तथा ग्रीष्म ऋतु में नियमित रूप से दोपहर में स्नान करते हैं। वर्षाकाल में कृषि कार्य के बाद दोपहर या शाम को स्नान करते हैं। नहाते समय शरीर की सफाई हेतु साबुन, तथा बालों को धोने के लिये काली मिट्टी या शैम्पू का उपयोग करते हैं। पूर्व में वर्षाकाल में खेत में होने वाले पौधे से सिर धोते थे। कपड़ों को गर्म पानी और राख में उबालकर धोते हैं। वर्तमान में साबुन एवं वाशिंग पावडर का उपयोग भी करने लगे हैं। स्नान घर के समीप या नदी-नाला, तालाब, हैण्डपंप, कुंआ आदि जल स्रोत में करते हैं।

स्नान के पश्चात् शरीर एवं बालों में टोरा तेल, सरसों तेल, नारियल तेल लगाते हैं। स्त्रियाँ पूर्व में सिर के पिछले हिस्से में 'खोसा' बांधती थी, वर्तमान में फीता तथा क्लीप की सहायता से बेनी वेणी बनाने लगी है। माथे में बिन्दी का उपयोग करती हैं। कुछ परिवारों में काजल, पावडर, क्रीम का उपयोग भी करने लगे हैं।

2.3.1 बालों तथा नाखून की सफाई

गोंड जनजाति के पुरुष सदस्य एक दूसरे का बाल काटते हैं। पूर्व में गोंड पुरुष जूड़ा बांधते थे या लंबे बाल रखते थे, किंतु वर्तमान में छोटे बाल रखते हैं। पिता अपने बच्चों का बाल काटता है। बाल की कटाई हेतु पहले "छूरा" (चाकू) का उपयोग करते थे। वर्तमान में कैंची से बाल काटते हैं। बालों को छोटे रखने के कारण दो से तीन माह में बालों को काटते हैं। पुरुष एक-दूसरे की दाढ़ी बनाते हैं। पहले छूरा और वर्तमान में ब्लेड का उपयोग करते हैं। पूर्व में माह में एक बार जबकि वर्तमान में साप्ताहिक अंतराल में दाढ़ी बनाते हैं। वर्तमान में बाल एवं दाढ़ी बनाने के लिये नाई की सेवाएं लेने लगे हैं। हाथ-पैर नाखूनों को "कडरी" या "छूरी" (छोटा चाकू) या ब्लेड से 15-20 दिनों के अंतराल में काटते हैं।

2.3.2 शारीरिक अंग-छेदन

गोंड जनजाति में कन्याओं का कर्ण छेदन आठ-दस वर्ष की उम्र में करवाया जाता है। इसमें कान के नीचे व उपर के भाग में छेद किया जाता है। बालकों को पूर्व में कान छिदवाते थे वर्तमान में नहीं छिदवाया जाता है। कान छेदने के पश्चात् "दाब बाड़नी" (झाड़ू की पतली सीक) पहना देते हैं। घाव सूखने के पश्चात् उपलब्ध किसी धातु का आभूषण पहना दिया जाता है।

2.4 आभूषण

गोंड जनजाति के स्त्री-पुरुष श्रृंगार, सुरक्षा व प्रतीक हेतु आभूषण धारण करते हैं। आभूषण बाजार, मेले, फेरीवाले एवं स्थानीय दुकान से क्रय किये जाते हैं। आभूषण सोना, चांदी, पीतल, एल्युमिनियम, गिलट, तांबा, लाख आदि से निर्मित होते हैं। गोंड सदस्यों द्वारा धारित प्रमुख आभूषण इस प्रकार है :-

सारणी क्रं. 2.2 गोंड सदस्यों द्वारा आभूषणों का विवरण

क्रं.	आभूषण	मूल्य (रु. में)	धातु	धारणकर्ता	धारित अंग
1	खोंचा कांटा	2-10	स्टील धातु	स्त्री	बालों में
2	क्लीप	2-10	स्टील धातु	स्त्री	बालों में
3	चौरी	15-20	काली रस्सी	स्त्री	बालों में (खोसा के लिये)
4	बारी	100-3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री-पुरुष	कान के ऊपरी भाग में
5	खंजा	100-3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री	कान के नीचे भाग में
6	फूली	10-3000	सोना, चांदी, गिलट	स्त्री	कान के नीचे भाग में
7	फुलगुना	20-2000	चांदी, गिलट व अन्य धातु	स्त्री	नाक में
8	डंडी	30-2000	चांदी, गिलट व अन्य धातु	स्त्री	नाक में
9	करिया माला	20-1000	लाख	स्त्री	गले में
10	दीप माला	50-20000	सोना, धातु	स्त्री	गले में
11	नानू	30000-90000	सोना	स्त्री	गले में (धनवान द्वारा धारण)
12	डांडा माली	10000-30000	सोना	स्त्री	गले में
13	दशाबरत	40-70	धागा	स्त्री	गले में (व्रत में धारण)
14	बांहटा	100-1500	चांदी, गिलट	स्त्री	बांह में
15	पोलका खाडू	100-2000	चांदी, गिलट	स्त्री	कलाई में
16	कांच चूड़ी	10-50	कांच	स्त्री	कलाई में
17	टिकी मूंदी (सिक्का अंगूठी)	20-100	सिक्का	स्त्री	कलाई में
18	मूंदी	10-30	धातु	स्त्री-पुरुष	हाथ की अंगुलियों में

गोंड जनजाति में आर्थिक कारणों से सोना, चांदी के आभूषणों का उपयोग कम है। गोंड बच्चे, स्त्री-पुरुष नजर व बुरे प्रभाव से रक्षा हेतु गले में काला धागा, ताबीज धारण करते हैं।

2.5 गोदना

गोंड जनजाति में गोदना को पवित्र तथा आवश्यक माना जाता है। स्त्रियों द्वारा गोदना न गुदवाने पर जन्म निरर्थक माना जाता है। इस कारण स्त्रियों में अधिक प्रचलित है, पुरुष शौक के रूप में हाथ की कलाई में नाम, राम—राम या प्रतीक गोदना गुदवाते हैं। गोंड जनजाति में गोदना को पक्का या स्थायी श्रृंगार माना जाता है। गोंड जनजाति में मान्यता है कि गोदना मात्र एक ऐसा आभूषण है जो मृत्यु के पश्चात् परलोक साथ में जाता है।

गोंड जनजाति में कन्याओं को विवाह के पूर्व 12—13 वर्ष की आयु में गोदना गुदवाया जाता है। गोंड जनजाति में मान्यता है कि गोदना कन्या के जवान होने की पहचान है। गोदना बांह व कलाईयों तथा कोहनी की नीचे, हथेली के पार्श्व भाग पर तथा पैरों में पिंडली के चारों तथा पैर के पंजे के ऊपर विभिन्न आकृतियों का गुदना गुदवाती हैं।

पूर्व में गोंड जनजाति में यह परंपरा प्रचलित था कि कोई स्त्री प्रथम प्रसव के तुरंत बाद पुनः गर्भवती हो जाती थी तो होने वाले बच्चे को अति मानवीय शक्तियों के प्रकोप से रक्षा करने हेतु बच्चे के माथे पर गोल गुदना गुदवाते थे। इस प्रकार गोल गुदना गुदवाये बच्चे को “लामा” कहा जाता था।

गोदना गुदवाने के लिये पुराना कपड़ा, 5 पैली धान, एक किलो चाँवल तथा 30 से 50 रुपये दिया जाता है। वर्तमान में सामाजिक सम्पर्क तथा विकास के फलस्वरूप गोदना गुदवाने की प्रथा पारंपरिक न होकर आधुनिक मशीनों तथा आकृतियों की हो रही है।

2.6 वस्त्र विन्यास

गोंड जनजाति के वस्त्र विन्यास समकालीन होते हैं। गोंड सदस्य हरे, सफेद, नीले, लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग अधिक करते हैं। उम्र व लिंग के अनुसार धारण किये जाने वाले वस्त्रों का विवरण निम्नलिखित है—

2.6.1 पुरुष

अ. बालक—गोंड जनजाति में नवजात शिशु को “सटी” संस्कार तक पुराने कपड़े के

टुकड़े में लपेटा जाता है। “सटी” (छठी) के दिन नये कपड़े का “झबला” या कुर्ता पहनाया जाता है। पूर्व में दो वर्ष की उम्र से कमर में “लेंगटा” (लंगोट) पहनाया जाता था, वर्तमान में चड्डी, पैंट एवं शर्ट पहनाते हैं। शाला में प्रवेश के उम्र से शर्ट, पैंट पहनते हैं। पूर्व में किशोरावस्था में धोती, लुंगी, बनियान पहनते थे, वर्तमान में शर्ट, टी-शर्ट, चड्डी, हाफ एवं फूल पैंट, लुंगी बनियान पहनते हैं।

ब. वयस्क—वयस्क गोंड, पुरुष चड्डी, अंगोदी (धोती) लुंगी, बनियान, कमीज पहनते हैं तथा सिर पर “पटका” या “गमछा” बांधते हैं। वर्तमान में कुछ पुरुष सदस्य आधुनिक वस्त्र भी पहनने लगे हैं।

स. वृद्ध—वृद्ध पुरुष कमर से घुटने तक “ओंगदी” (धोती) लुंगी एवं शरीर के ऊपरी भाग में बनियान पहनते हैं तथा सिर पर “पागा” (साफा) बांधते हैं।

2.6.2 स्त्री

अ. बालिका—नवजात बालिका को “सटी” (छठी) तक पुराने कपड़े में लपेटा जाता है। छठी के पश्चात् दो वर्ष तक झबला, फाक एवं चड्डी पहनाते हैं। स्कूल प्रवेश की उम्र से कमीज, स्कर्ट, फ्रॉक एवं चड्डी पहनती है तथा किशोरी बालिकायें सलवार कुर्ता, स्कर्ट कमीज पहनती हैं, जबकि अन्य बालिकाएं साड़ी धारण करती हैं।

ब. वयस्क—वयस्क स्त्रियाँ पूरी लंबाई की एक ही साड़ी धारण करती हैं।

स. वृद्धा—वृद्धा घुटने से नीचे तक एक ही साड़ी धारण करती हैं।

गोंड परिवारों में नये वस्त्र प्रायः विवाह एवं नुआखानी त्यौहार के अवसर पर क्रय किये जाते हैं। इनके पास आर्थिक स्थिति के अनुसार 2–5 जोड़ी कपड़े पाये जाते हैं। वैवाहिक या विशेष अवसर पर वस्त्र उपहार स्वरूप भेंट किये जाते हैं।

2.6.3 बिछाने—ओढ़ने के कपड़े

गोंड परिवारों में परिवार के सदस्यों की संख्या तथा आवश्यकतानुसार नये—पुराने बिछाने—ओढ़ने के कपड़े पाये जाते हैं। सोने हेतु बांस की चटाई या पुरानी साड़ियों को सीलकर बनायी गयी “खतड़ी” (गुदड़ी) को बिछाते हैं। कुछ परिवारों में इस पर चादर बिछाते हैं। ओढ़ने के लिये बाजार से क्रय किया गया चादर या सूती कम्बल उपयोग करते हैं। ओढ़ने—बिछाने के चादर 80–200 रुपये तक के एवं

20-300 रुपये के मूल्य के होते हैं।

2.7 घरेलू उपकरण

घरेलू उपकरण का जीवन निर्वाह में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इनकी सहायता से ही दैनिक जीवन सुचारु रूप से गतिमान होता है। परिवार में घरेलू उपकरण की संख्या आवश्यकता एवं संचय पर निर्भर होता है। गोंड परिवारों के घरेलू उपकरण निम्न है -

2.7.1 रसोई में उपयोग होने वाले उपकरण

गोंड परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण का विवरण इस प्रकार है-

सारणी क्रं. 2.3 गोंड परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले घरेलू उपकरण का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य (रु. में)	निर्माण सामग्री	निर्माण / क्रय	उपयोग
1	चिकनी कुंडरी	20-50	मिट्टी	कुम्हार	भात बनाने में
2	कुंडरी	20-40	मिट्टी	कुम्हार	पेज बनाने में
3	तेलानी	20-40	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) बनाने में।
4	पातली	20-40	मिट्टी	कुम्हार	साग (सब्जी) बनाने में।
5	हण्डी	20-50	मिट्टी	कुम्हार	पेज बनाने में
6	कोरमा	20-51	मिट्टी	कुम्हार	पेज को रखने में
9	चाटू	20-50	एन्युमिनियम	बाजार	पेज निकालने के लिये
10	नखी (गुंडी)	100-800	एन्युमिनियम, पीतल	बाजार	पानी रखने के लिए
11	थारी (थाली)	20-250	स्टील, कांसा	बाजार	भोजन रखने में

क्रं.	नाम	मूल्य (रु. में)	निर्माण सामग्री	निर्माण / क्रय	उपयोग
12	गिलास	10-20	स्टील	बाजार	पानी पीने में
13	कसेला (लोटा)	40-20	स्टील, कांसा, पीतल	बाजार	पानी पीने में
14	कप	30-100	चीनी मिट्टी	बाजार	चाय पीने में
15	ईरा (हंसिया)	20-30	लोहा	बाजार	सब्जी काटने में
16	कडरी (चाकू)	5-15	लोहा	बाजार	सब्जी काटने में
17	ढेकी	10-30	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	धान कूटने में
18	सील-लोढा	—	पत्थर	स्वनिर्मित	मसाला, चटनी पीसने में
19	मूसल-कोटनी	10-20	लकड़ी, लोहा	स्वनिर्मित	अनाज, कूटने पीसने में
20	जाता	100	पत्थर	बाजार	कुटने पीसने में
21	पीढ़ा	—	लकड़ी	स्वनिर्मित	बैठने में
22	सूपा	10-20	बांस	बाजार	अनाज सफाई में
23	चूल्हा	—	मिट्टी	स्वनिर्मित	भोजन बनाने में
24	डोबला	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
25	चोकनी	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
26	दोना	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
27	पतरी (पत्तल)	—	साल, सियाड़ी पत्ता	स्वनिर्मित	भोजन करने में
28	ढक्कन / टांगा	10-20	मिट्टी	कुम्हार	ढकने के लिये
29	ओनका	5-20	नारियल एवं लकड़ी	बाजार	पेज निकालने के लिये

2.7.2 अन्य घरेलू उपकरण

गोंड परिवारों में उपयोग होने वाले अन्य घरेलू उपकरण का विवरण इस प्रकार है—

सारणी क्रं. 2.4 गोंड परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले अन्य घरेलू उपकरण का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य (रु. में)	निर्माण सामग्री	निर्माण/ क्रय	उपयोग
1	बाढ़न (झाड़ू/ बाहरी)	—	बांस एवं पौधे	स्वयं	सफाई में
2	सेर	40—60	लोहा	बाजार	अनाज नापने के लिए
3	काट्ठा	40—50	बांस	स्वयं	अनाज नापने के लिए
4	सोली	20—40	लोहा	बाजार	अनाज नापने में
5	पैली	60—80	लोहा	बाजार	अनाज नापने में
6	पाव	50—60	लोहा	बाजार	तेल नापने में
7	ढोलंगी	200—400	बांस	बाजार	अनाज भण्डारण
8	छतड़ी	50—100	बांस व पत्ते	बाजार	वर्षा से सुरक्षा
9	कोठी	—	मिट्टी, लकड़ी	स्वयं	अनाज भण्डारण
10	खटिया (खाट)	—	लकड़ी, रस्सी	स्वयं	सोने, बैठने हेतु
11	“बारसी” (बसूला)	20—50	लोहा	बाजार	लकड़ी को छिलने
13	बिंधना	30—100	लोहा	बाजार	लकड़ी में छेद करने
14	आरी	40—120	लोहा	बाजार	लकड़ी काटने
15	टंगीया (कुल्हाड़ी)	70—80	लोहा	बाजार	लकड़ी काटने

2.8 कृषि औजार

गोंड जनजाति के सदस्य परंपरागत औजारों के माध्यम से कृषि करते हैं। परिवार में कृषि औजार सदस्यों की संख्या या आवश्यकता या आर्थिक स्थिति के आधार पर पाये जाते हैं। कृषि औजार न होने पर पड़ोसी परिवार से लिया जाता है। गोंड सदस्यों द्वारा उपयोग में लाये जाने वाले कृषि औजार निम्न है —

सारणी क्र. 2.5 गोंड परिवारों की रसोई में उपयोग होने वाले कृषि औजार का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता	उपयोग
1	नागर (हल)	200—500	लकड़ी, लोहा	स्वयं, बढ़ई	खेत की जुताई
2	लगड़ा (पाटा)	300—500	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत को समतल बनाने में
3	कोपर	200—400	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत को समतल बनाने में
4	कांटा-कोपर	200—400	लकड़ी	स्वयं, बढ़ई	खेत की घांस खींचने में
5	रापा (फावड़ा)	50—150	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई समतल करने में
6	कुदाली (कुदाल)	20—50	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई
7	कोड़की (छोटा फावड़ा)	80—150	लोहा, लकड़ी	बाजार	गहरी खुदाई
8	गैंती	80—150	लोहा, लकड़ी	बाजार	खुदाई
9	साबल / तबल (सबल)	60—150	लोहा	बाजार	गहरी खुदाई
10	ईरा (हसिया)	20—50	लोहा, लकड़ी	बाजार, लोहार	फसल काटने में
11	कांवड़ / कांवर	—	बांस	स्वयं	कंधे में रखकर फसल लाना
12	सूपा (कुला)	10—40	बांस	स्वयं, बाजार	मिंजाई के दौरान फसल लाना
13	टूकनी (टोकरी)	70—80	बांस	स्वयं, बाजार	अनाज, खाद लाने में
14	गोना	300—500	बांस	स्वयं बाजार	अनाज धोने हेतु

2.9 मत्स्य आखेट के उपकरण

गोंड जनजाति के सदस्य नदी-नालों, खेत में तथा तालाबों में मत्स्य आखेट करते हैं। मत्स्य आखेट के प्रमुख उपकरण निम्न है —

सारणी क्र. 2.6 गोंड परिवारों में मत्स्य आखेट के प्रमुख उपकरणों का विवरण

क्रं.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता	उपयोग
1	“दांदर”	30—100	बांस, रस्सी	स्वयं, क्रय	खेतों की मेड में
2	“थापा”	50—100	बांस, रस्सी	स्वयं, क्रय	कम गहरे पानी में
3	“धिरी”	300—500	बांस	स्वयं, क्रय	तालाब में
4	“जाल”	800—1000	बांस, जाल, रस्सी	स्वयं, क्रय	तालाब, नदी में
5	“गरी-लाठ”	10—20	बांस, गरी, धागा	स्वयं	तालाब, नदी में
6	“धनुष-जाल	10—30	बांस, रस्सी, लोहा	स्वयं	नदी, तालाब में
7	“पेलना”	50—100	बांस, जाल	स्वयं, क्रय	तालाब में
8	“झारा”	600—700	बांस, जाल, रस्सी	स्वयं, क्रय	तालाब, नदी में
9	“चौकी”	400—500	धागा	बाजार	तालाब, नदी में
10	“तेलई”	400—500	धागा	बाजार	तालाब, नदी में
11	चौगोड़ी	300—600	रस्सी, बांस	बाजार	तालाब, नदी में

2.10 शिकार के उपकरण

गोंड जनजाति के सदस्य शिकार भी करते हैं, वे अपने शिकार के हथियार स्वयं बनाते हैं। वर्तमान में प्रतिबंध के कारण शिकार का प्रचलन आंशिक मात्र रह गया है, किन्तु धार्मिक प्रयोजन, मनोरंजन एवं फसलों की सुरक्षा हेतु गुप्त रूप से शिकार किया जाता है। इनके शिकार के उपकरण निम्न हैं—

सारणी क्र. 2.7 गोंड परिवारों में शिकार के प्रमुख उपकरणों का विवरण

क्रं.	नाम	निर्माण सामग्री	लक्ष्य
1	“धनु—कांड”	बांस, रस्सी, लोहा	बड़े जानवर
2	“खरहा जाल”	सन की रस्सी	खरगोश
3	“फांदा” / “फतका”	बांस, रस्सी	पक्षी
4	“दावनी फांदा”	चिपचिपा पदार्थ, रस्सी	बड़े पक्षी के लिये (मोर)
5	“लावा फांदा”	जाल, रस्सी	तीतर, लावा, पंडकी
6	“लासा”	महुआ, पीपल, बड़ वृक्ष का दूध व तेल	सभी पक्षी
7	“काल खोदरा”	गड़ड़ा खोदने का औजार	बड़े जानवर
8	“गुलेर” / “गुलेल”	लकड़ी, रबर	सभी पक्षी
9	“धनुष गुलेर”	बांस, रस्सी	सभी पक्षी
10	दपका फंदा	लकड़ी	चुहा

2.11 संगीत के उपकरण

गोंड जनजाति में सामाजिक एवं धार्मिक आयोजन के अवसर पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गीत—संगीत—नृत्य प्रस्तुत किये जाते हैं। जो निम्न हैं—

सारणी क्र. 2.8 गोंड परिवारों में शिकार के पारम्परिक वाद्ययंत्रों का विवरण

क्र०.	नाम	मूल्य	निर्माण सामग्री	निर्माता / क्रय	उपयोग विधि
1	“ढोल”	400—500	लकड़ी का खोखला तना, चमड़ा रस्सी	बाजार	गले में लटकाकर
2	“मांदर”	800—1000	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	गले में लटकाकर
3	“बांसुरी”	10—50	बांस	स्वयं / बाजार	मुंह से फूंककर
4	“डंडा”	—	लकड़ी	स्वयं	हाथ से

5	"तुड़बुड़ी"	100-200	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	हाथ से
6	"ढोलकी"	100-250	मिट्टी, चमड़ा, रस्सी	बाजार	हाथ से

2.12 अग्नि प्रज्ज्वलन के उपकरण

गोंड जनजाति के सदस्य आग जलाने हेतु पारंपरिक रूप से दो विधियों का प्रयोग करते हैं।

प्रथम विधि में लकड़ी के चौड़े व समतल टुकड़े के बीच में लगभग $1-1\frac{1}{2}$ इंच गहरा गोल छेद कर उसमें सूखी घास डालते हैं तथा लगभग एक फीट लम्बी लकड़ी के दोनों हथेली के बीच में दबाकर नीचे की ओर दबाव डालते हुये तेजी से आगे-पीछे घुमाते हैं, जिससे नीचे छेद में घर्षण के कारण आग उत्पन्न होकर सूखे घास में लग जाती है, जिसे फूँककर सुलगा लिया जाता है।

दूसरी विधि में बांस के दो सूखे टुकड़े लेकर एक को आधे हिस्से तक दो भागों में फाड़ लिया जाता है और बीच में लकड़ी फंसा देते हैं, यह अंग्रेजी के "V" अक्षर की आकृति का दिखाई देता है। इसके दो भाग वाले हिस्से को भूमि पर रखते हैं तथा नीचे सूखा पैरा या सूखी घास रख देते हैं। दूसरे बांस से पहले बांस के दो भाग वाले हिस्से पर तेजी से रगड़ते हैं, जिससे घर्षण के कारण बांस का बुरादा एवं आग उत्पन्न होते हैं, जो नीचे रखे पैरा या सूखे घास में गिरते हैं, जिसे फूँककर सुलगा लिया जाता है।

उपरोक्त दोनों विधियाँ समय और श्रम साध्य होने के कारण गोंड सदस्य वर्तमान में आग जलाने हेतु माचिस का उपयोग करते हैं।

2.13 आवागमन के साधन

गोंड जनजाति के सदस्यों के बाजार-हाट, वनोपज क्रय-विक्रय तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन एवं आवागमन हेतु पैदल एवं सायकल ही मुख्य साधन है। वर्तमान में कच्चे व पक्के सड़कों के विकास से यातायात के साधनों में वृद्धि हुई है। गोंड सदस्य मोटर सायकल, बस, ट्रक, ट्रेक्टर, जीप, कार आदि का उपयोग आवागमन हेतु करने लगे हैं।

2.14 भोजन

गोंड जनजाति के सदस्य भोजन में चावल, दाल तथा मौसमी सब्जियाँ मुख्य खाद्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। “पखाल” (रात में बचे भात में पानी डालकर रख दिया जाता है), जिसे अगले दिन खेत जाने के पूर्व खाते हैं या “पेज” पीते हैं। गोंड जनजाति के सदस्य दिन में “पेज बेरा” (दोपहर) एवं “सांज बेरा” (संध्या काल) में भात, पेज तथा दाल व उपलब्धता अनुसार सब्जी खाते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में दाल व सब्जी अनियमित रूप से बनाया जाता है। इन परिवारों में रसेदार सब्जी या नमक, मिर्च, टमाटर की चटनी के साथ भात खाया जाता है। गोंड परिवारों में खाद्य तेल का कम उपयोग होता है।

मक्का व चावल की “कनकी” (खंडा) को अधिक पानी में उबालकर “पेज” बनाते हैं। इसे खेत जाने के पूर्व पीते हैं तथा खेत में भी साथ ले जाते हैं। पेज चटनी के साथ पीते हैं। इसी प्रकार गर्मियों में चावल की “कनकी” (खंडा) को पूर्व से भिगोये तथा खमीर युक्त “मंडिया” (रागी) आटा के घोल के साथ उबालकर “मंडिया पेज” बनाते हैं।

गोंड परिवारों में प्रातः काल व संध्या में चाय पीने का चलन है। वे बिना दूध का (काली चाय) पीते हैं। चाय अतिथियों को भी पिलाया जाता है।

गोंड जनजाति में उपरोक्त खाद्य या भोजन के अतिरिक्त वर्षाकाल में जब परिवार में चावल की कमी हो जाती है तो साल बीज, महुआ से भी भोज्य पदार्थ बनाये जाते हैं।

2.15 मादक पदार्थ

गोंड जनजातीय सदस्यों द्वारा मादक पेय के रूप में “दांडगो” (शराब) “गोरगाल” (सल्फी) रस, छिंद रस का उपयोग किया जाता है। मादक पदार्थों का सेवन, संध्या, साप्ताहिक बाजार, त्यौहार, अतिथि आगमन, धार्मिक सामाजिक आयोजन के दौरान किया जाता है। शराब पारंपरिक विधि से स्वयं बनाते हैं या क्रय करते हैं। गोंड सदस्य गुड़ाखू, तम्बाकू का प्रयोग भी बहुतायत करते हैं। प्रौढ़ व वृद्धजन तम्बाकू व बीड़ी का तथा किशोर व युवाजन तम्बाखु युक्त गुटखा का सेवन करते हैं।

अध्याय-तीन

जीवन संस्कार

सभी समाजों में जन्म, विवाह एवं मृत्यु आदि जीवन संस्कारों को एक निश्चित नियम के अंतर्गत कुछ अनुष्ठानों के साथ पूर्ण किया जाता है। इन अनुष्ठानों में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भिन्नता तथा रुचि के फलस्वरूप आयोजन के स्वरूप में विविधता दिखाई देता है, किंतु एक समाज में कुछ मूलभूत नियमों का पालन अवश्य किया जाता है। इन्हें जीवन संस्कार के नाम से जाना जाता है। ये जीवन संस्कार जन्म, विवाह एवं मृत्यु से जुड़े होते हैं। गोंड जनजाति में प्रचलित जीवन संस्कार का विवरण इस प्रकार है—

3.1 जन्म संस्कार

3.1.1 गर्भधारण

गोंड जनजाति में मासिक चक्र रुकने से गर्भधारण या गर्भ ठहरने का ज्ञान होता है। गोंड जनजाति में गर्भवती स्त्री, गर्भकाल के प्रारंभिक एवं मध्यकाल तक सामान्य दैनिक कार्यों का निर्वहन करती हैं। इस काल में गर्भवती स्त्री को सामान्य से अधिक या पौष्टिक भोजन दिया जाता है। गोंड जनजाति में गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री तथा गर्भस्थ शिशु के लिए कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान नहीं किया जाता है।

गोंड जनजाति संतान हेतु पुत्र या लड़का को प्राथमिकता देते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुत्र ही वंश को आगे बढ़ायेगा तथा बुढ़ापे में देख-रेख करेगा। इस कारण गोंड जनजाति में प्रथम संतान हेतु पुत्र या लड़का की कामना करते हैं।

3.1.2 प्रसव

गोंड जनजाति में गर्भवती स्त्री का प्रसव घर में होता है। प्रसव कार्य ग्राम की दो-तीन जानकार स्त्रियों "सुईन" / 'दाई' से करवाते हैं। पूर्व में नाल काटने के लिये बांस की कपची (कच्चे बांस को काट व छील कर बनाया गया पट्टी) हंडी या खपरैल का टुकड़ा, तीर, "कडरी" (चाकू) उपयोग करते थे। वर्तमान में नाल काटने के लिये

ब्लैड का उपयोग किया जा रहा है।

गोंड जनजाति में प्रसव के उपरांत तीन दिन प्रसूता को “कशा” पानी दिया जाता है। “कशा” “हिरवां” या “कोलत” (कुल्थी), “तिल गुड” (कुटा हुआ काला तिल), सिंगी तथा ककही जड़ (जंगली जड़ी) को पानी में उबालकर बनाते हैं। तीसरे दिन प्रसूता को भोजन खिलाते हैं।

3.1.3 छठी संस्कार तथा नामकरण

शिशु जन्म के 6 या 8 दिन में नाल झड़ने पर “सटी” (छठी संस्कार) किया जाता है। गोंड जनजाति के कई परिवार अर्थिक रूप से सक्षम न होने के कारण छठी संस्कार एक-दो माह या अधिक दिन में करते हैं। बच्चे के नाल को घर के आंगन में गड़ाते हैं। सुईन प्रसूता के कमरे को साफ करती है तथा शिशु को नहलाती है। इस दिन संबंधियों तथा ग्रामवासियों को आमंत्रित किया जाता है। बच्चे का नामकरण परिवार के सदस्य करते हैं तथा आमंत्रित जन शिशु को आशीर्वाद तथा उपहार देते हैं। इसके बाद सभी आमंत्रित जनों को शराब व भोज कराते हैं। पूर्व में बच्चे के जन्म के दिन, मास के आधार पर नाम रखते थे। जैसे— सोमवार के जन्मे बालक/बालिका का नाम सोमारु/सोमारी, बुधवार को जन्मे बालक/बालिका का नाम बुधरु/बुधरी, चैत्र मास में जन्म हो तो चैतू आदि। वर्तमान में कुछ गोंड परिवार के नामकरण बाह्य समाज के संपर्क के कारण परिवर्तित होने लगा है।

नामकरण के दिन ग्राम पुजारी की पत्नी मिट्टी के कलश में “बाना” (चित्र) बनाकर देती है, जिसमें परिवार के सदस्य चावल भरकर साड़ी और रुपये साथ “सुईन” को भेंट स्वरूप देते हैं।

3.2. विवाह संस्कार (बिहाव)

गोंड समाज में विवाह को जीवन का आवश्यक संस्कार माना जाता है क्योंकि विवाह से ही व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, निश्चिता आती है साथ ही परिवार के निर्माण से समाज व संस्कृति निरंतर गतिशील रहती है।

3.2.1 विवाह हेतु अधिमान्यता

गोंड जनजातीय समाज में विवाह हेतु ममेरे-फुफेरे विवाह को अधिमान्यता प्राप्त है। इसमें एक व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री के विवाह हेतु उनके मामा या फूफा के परिवार को प्राथमिकता देता है अर्थात् अपने संतान के विवाह हेतु एक व्यक्ति अपने ससूराल/साला या बहनोई के परिवार को प्राथमिकता देता है। ऐसे विवाह को अच्छा माना जाता है क्योंकि वैवाहिक पक्ष वर/वधू पूर्व परिचित या रिश्तेदार होते हैं, जिससे संतान का वैवाहिक जीवन सुखी होने का विश्वास होता है तथा दोनों पक्षों में आपसी संबंध भी अधिक घनिष्ठ होते हैं। गोंड जनजाति वंश व गोत्र बहिर्विवाही तथा जनजाति अंतर्विवाही है।

3.2.2 विवाह आयु

वर्तमान में गोंड समाज में लड़कों का विवाह 18-22 वर्ष तथा लड़कियों का विवाह 17-19 वर्ष में किया जाता है। पूर्व में गोंड समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा प्रचलित थी, अर्थात् बालक विवाह 14-16 वर्ष एवं बालिका का 12-15 वर्ष में कर दिया जाता था।

3.2.3 विवाह के प्रकार

गोंड समाज पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज की विवाह पद्धति में पुरुषों को प्रमुखता है। गोंड समाज में विवाह के निम्न प्रकार प्रचलित है :-

अ. एकल विवाह— गोंड समाज में एक विवाह की संख्या अधिक है। इसमें एक समय में एक ही पुरुष-स्त्री के मध्य वैवाहिक संबंध होता है। कई बार विवाह विच्छेद, विधुर/विधवा होने के कारण दूसरे पुरुष-स्त्री से विवाह किया जाता है किन्तु एक समय में एक ही स्त्री/पुरुष से विवाह संबंध होता है।

ब. बहुपत्नी विवाह — गोंड समाज में बहुपत्नी विवाह अल्पसंख्या में प्रचलित है। बहुपत्नी विवाह का मुख्य कारण विधवा विवाह एवं संतानहीनता है। ऐसे स्थिति में व्यक्ति दूसरा विवाह कर लेता है। गोंड समाज में बहुपत्नी विवाह को सामाजिक मान्यता प्राप्त है।

3.2.4 जीवनसाथी चयन की विधियाँ

गोंड समाज में जीवन साथी चयन करते हेतु अनेक विधि प्रचलित है। विवाह हेतु इच्छुक व्यक्ति या परिवार प्रचलित विधियों के अंतर्गत विवाह कर सकता है। गोंड समाज में विवाह साथी चयन की विधि विवरण निम्न है –

1. सहमति विवाह –सहमति विवाह में वर-वधू दोनों के पक्ष आपसी सहमति से विवाह संबंध तय करते हैं। इनमें से आपसी सहमति के आधार पर तय किये जाने वाले विवाह की संख्या सर्वाधिक है।

अ. मांगनी बिहाव (मंगनी विवाह)

● **विवाह प्रस्ताव** –गोंड जनजाति में पुत्र के विवाह योग्य होने पर पिता योग्य कन्या की तलाश कर कन्या के घर विवाह प्रस्ताव लेकर जाता है। विवाह प्रस्ताव हेतु लड़के का पिता अपने किसी संबंधी या “कूटन” (मध्यस्थ) के माध्यम से कन्या पक्ष को संदेश भेजा जाता है। कन्या पक्ष से सकारात्मक उत्तर मिलने के पश्चात् लड़के के माता-पिता व मध्यस्थ जाते हैं। यदि कन्या एवं कन्या पक्ष विवाह प्रस्ताव से सहमत होता है तो विवाह प्रस्ताव स्वीकृत होना माना जाता है।

● **“महला” (सगाई)** गोंड जनजाति में विवाह प्रस्ताव के स्वीकृति तथा विवाह के मध्य सात से बारह “माहला” (सगाई) का रिवाज है, जिसे वर्तमान में वर तथा वधू पक्ष आपसी सहमति से तीन या चार माहला में रस्मों को पूर्ण कर लेते हैं। गोंड जनजाति में वर्तमान में प्रचलित तीन प्रमुख “माहला” (सगाई) का विवरण निम्नांकित है—

● **“माहला”(सगाई)** — सगाई/माहला में वर के माता-पिता, माहला करिया (मध्यस्थ) एवं निकट संबंधी कन्या के घर जाते हैं। वे अपने साथ चिवड़ा, गुड़ तथा शराब लेकर जाते हैं। शुभ माहला में उपस्थित जनों के समक्ष दोनों पक्षों द्वारा संबंध तय किया जाता है तथा चिवड़ा, गुड़ तथा “मंद” (शराब) सभी को वितरित किया जाता है, जिसे उपस्थित सभी द्वारा ग्रहण किया जाता है।

पोईत भात माहला में वधू के घर भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों पक्ष के उपस्थित जनों के मध्य रस्म पूर्ण किया जाता है तथा भोज दिया जाता

है। माहला के दिन वर-वधू पक्ष के द्वारा विवाह की तिथि “खरचा” (वधूधन), बाराती तथा विवाह के संबंध में अन्य बातों का निर्धारण किया जाता है।

“खरचा” (वधू-मूल्य) —गोंड जनजाति के मंगनी विवाह में “खरचा” (वधूमूल्य) दिया जाता है। इसमें वर का पिता वधू के पिता को 2000-3000 रुपये ‘खरचा’ (वधूमूल्य) के रूप में देता है। इसके साथ वधू पक्ष को भोजन व श्रृंगार सामान दिया जाता है। जो इस प्रकार होता है—

1. बकरा— 1
2. मुर्गा —1
3. चाँवल — 10-20 पैली
4. “मंद”/दांडगो (शराब) 20 से 30 बोतल
5. मॉयसारी —1 (सास की साड़ी)
6. सोरीहीसारी (16 हाथ लंबी) वधू के लिए

● **विवाह की रस्म**—गोंड जनजाति में पूर्व में 5-7 दिनों का वैवाहिक कार्यक्रम होता था, जिसे वर्तमान में तीन से चार दिनों में सीमित कर दिया गया है। विवाह कार्यक्रम का दैनिक विवरण निम्न है:—

प्रथम दिन —विवाह का प्रथम दिन दोनों पक्ष के परिवार जन “नेओता बाजा” (निमंत्रण बाजा) के साथ सर्वप्रथम देवी-देवता के सगे-संबंधियों तथा ग्रामीणों को विवाह में आमंत्रित करने के लिए जाते हैं।

द्वितीय दिन — विवाह के द्वितीय दिन दोनों पक्ष में “मांडो” (मण्डप) बनाते हैं। इस दिन ग्राम का माटी पुजारी, परिवार के सदस्य व ग्रामीण वन से महुआ व साल वृक्ष की हरी शाखाएं, “खूंट” (खम्बा) काटकर लाते हैं तथा आंगन में “मांडो” (मण्डप) बनाते हैं। “मांडो” (मण्डप) के मध्य में महुआ की शाखा गाड़ दिया जाता है। विवाह के सभी रस्म इसी “मांडो” (मण्डप) के नीचे ही संपन्न होते हैं।

दूसरे दिन दोनों पक्ष अपने-अपने घर में वर-वधू को तेल चढ़ाते हैं। इसमें वर-वधू के निकट संबंधी स्त्रियां जैसे— भाभी, चाची, मामी आदि तेल चढ़ाते हैं। इस

रस्म में वर/वधू को “मांडो” (मण्डप) में बैठाकर निकट संबंधी स्त्रियां हाथों में तेल लेकर सिर तक शरीर में पांच बार हल्दी व तेल लेकर पत्तों के सहारे चढ़ाती हैं।

तृतीय दिन — तीसरे दिन सुबह दोनों पक्ष में वर-वधू तेल चढ़ाते हैं। इस दिन वर पक्ष, वधू के गांव की दूरी के आधार पर बारात प्रस्थान होता है। बारात में वर के पिता, संबंधी, वर के मित्र तथा ग्रामवासी आदि जाते हैं। बारात के गांव में पहुंचने पर “जनवासा” (बारात रुकने के लिए ग्राम का सार्वजनिक भवन या अन्य चिन्हित स्थान में ठहरते हैं) और बारात का स्वागत करते हैं। “जनवासा” में ही “खरचा” या वधूमूल्य प्रदाय किया जाता है।

विवाह की रस्म — शाम को वर बारात के साथ वधू के घर आता है। बारात का घर पर स्वागत करने के पश्चात् वर-वधू को मण्डप में बिठाकर “टिकान” रस्म किया जाता है। इसमें आमंत्रित जन यथाशक्ति उपहार देते हैं। इसके बाद बारातियों व आमंत्रित जनों को भोज दिया जाता है। भोज के उपरांत “लगिन” (लग्न) का रस्म होता है। इसमें विवाह की रस्म को पुजारी या समाज का जानकार व्यक्ति पूर्ण कराता है। गोंड जनजाति में सात या नौ फेरे लिये जाते हैं। इसके पश्चात् विवाह रस्म पूर्ण होता है। विवाह पूर्ण होने के पश्चात् रात में या सुबह बारात विदाई किया जाता है। ‘टिकान’ में आये समस्त उपहार वर पक्ष को सौंप दिया जाता है।

चतुर्थ दिन — बारात के वर के घर वापस पर स्वागत किया जाता है। वर-वधू की पूजा कर घर के अंदर लाते हैं। कुछ समय उपरांत “जोड़ी” तेल रस्म होता है। इसमें वर-वधू को मण्डप में बैठाकर तेल चढ़ाया व उतारा जाता है। इसके बाद ‘चिखल लोंडी’ “चिखल” (कीचड़) की होली रस्म होता है।

शाम को वर-वधू को मण्डप में बिठाकर “टिकान” रस्म किया जाता है। इस समय संबंधी व आमंत्रित जन वर-वधू को हल्दी-चावल का टीका लगाकर उपहार व आशीर्वाद देते हैं। इसके बाद भोज होता है।

ब. घरजिया बिहाव (परीवीक्षा विवाह)

गोंड जनजाति में “घरजियां बिहा” प्रचलित है। इसमें वर को एक निश्चित अवधि तक कन्या के घर में परीवीक्षा में रहना पड़ता है, जिसमें सफल होने पर विवाह

होता है और वर को वधू के घर में ही रहना पड़ता है। घरजियां बिहा के मुख्य दो कारण होते हैं :—

1. यदि किसी परिवार में इकलौती या सिर्फ कन्या संताने हो।
2. ऐसा परिवार जो गरीबी के कारण सामान्य रीति से अपने पुत्र का विवाह करने सक्षम नहीं है।

उपरोक्त परिस्थितियों में घरजियां विवाह किया जा सकता है। घरजियां रखने को इच्छुक पिता समाज में योग्य वर की तलाश करता है, वर के पिता के समक्ष प्रस्ताव रखता है और सहमति मिलने पर वर को अपने घर ले जाता है। वहां लड़के को पूर्व में तय समय के आधार पर 2—4 वर्ष सेवा देना पड़ता है। यदि कन्या एवं कन्या के पिता लड़के से संतुष्ट हो तो कन्या के घर में ही सहमति विवाह रस्म के अनुसार विवाह कर दिया जाता है।

स. पल्टा करिया बिहाव (विनिमय विवाह)

गोंड जनजाति में दो परिवारों में विवाह योग्य लड़का—लड़की का विवाह अदला—बदली या पल्टा करिया बिहा से कर सकते हैं। अर्थात् एक परिवार के लड़के का विवाह दूसरे परिवार की लड़की से और दूसरे परिवार के लड़के का विवाह पहले परिवार की लड़की से किया जाता है। इसमें “खरचा” (वधूमूल्य) देय नहीं होता है। शेष रस्म सहमति विवाह के समान ही होते हैं।

2. उदलिया बिहाव (पलायन विवाह)

गोंड जनजाति में लड़का—लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तथा विवाह करना चाहते हैं किन्तु विवाह हेतु उनके परिवार के सदस्य सहमत नहीं होते हैं तो दोनों पलायन कर विवाह कर लेते हैं। दोनों परिवार के सदस्य लड़का—लड़की की तलाश कर जनजाति पंचायत में निर्णय हेतु मामले को प्रस्तुत किया जाता है। मामले की सुनवाई कर दोनों को पति—पत्नी के रूप में मान्यता दिया जाता है। ऐसे मामले में लड़के के पिता को, कन्या के पिता को “खरचा” देना होता है तथा समाज को जुर्माना के रूप में आर्थिक दण्ड व भोज देना पड़ता है।

3. खिलवां बिहाव / चूड़ी बिहाव (पुनर्विवाह)

गोंड जनजाति में विधुर, विधवा, तथा निःसंतान विवाहित व्यक्ति के पुनर्विवाह का प्रचलन है। पुनर्विवाह हेतु स्त्री की इच्छा या सहमति आवश्यक होता है। पुनर्विवाह 'खिलवा' (कान का आभूषण) व चूड़ी पहनाकर किया जाता है। पुनर्विवाह में वर अपने निकटस्थ संबंधियों के साथ कन्या के घर जाता है, स्वागत के पश्चात् वर द्वारा ली गई खिलवां, चूड़ी वधू को पहना दिया जाता है। इसके बाद उपस्थित समाज के सदस्यों को भोजन कराकर शाम को विदाई कर दिया जाता है।

3.3 मृत्यु संस्कार (मरनी/माटी-टाटी)

गोंड जनजाति में मृत्यु को जीवन की पूर्णता एवं अव्यंभावी माना जाता है। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर स्त्रियां विलाप करती हैं, जिसे सुनकर पड़ोसी एकत्रित होते हैं और सभी को सूचना देते हैं। संबंधियों एवं ग्रामीणों के एकत्रित होने के पश्चात् विवाह संबंधी "टरंडी" (अर्थी) बनाते हैं। इसमें शव को रखकर नये वस्त्र से ढक देते हैं। शव यात्रा के पूर्व शव को हल्दी लगाते हैं। शव यात्रा के शमसान में पहुंचने पर दूसरे गोत्र के सदस्य कब्र खोदते हैं। इसके बाद शव को कब्र में रखने के पश्चात् मृतक का पुत्र या पिता या भाई या पति सर्वप्रथम शव पर मिट्टी डालता है। इस संबंधी तथा ग्रामीण एक-एक मुट्ठी मिट्टी शव पर डालते हैं तथा शव को मिट्टी से पूरी तरह ढंक दिया जाता है। मिट्टी देने का प्रथम अधिकार मृतक पिता होने पर बड़े पुत्र को, मृतक माता होने पर सबसे छोटे पुत्र को, निःसंतान स्त्री की मृत्यु होने पर पति, मृतक निःसंतान विधवा होने पर जेठ या देवर का पुत्र प्रथम मिट्टी देता है। इसके पश्चात् "मड़ाभाटा" (शमसान) से सभी नदी या तालाब में नहाने जाते हैं तथा नहाने के बाद कतार में मृतक के घर जाते हैं।

3.3.1 "पीता"

मृत्यु के तीसरे दिन "पीता" होता है। इस दिन संबंधी एक ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। सभी कतार में जाकर नदी या तालाब में नहाते हैं और नहाकर मृतक के घर आते हैं। इसके बाद "पीता छुआनी" रस्म होता है। इस रस्म में नाईक या

पाईक नीम पत्ती बांटता है जिसे मृतक के परिवार जन खाकर शुद्ध होते हैं तथा परिवार को सभी सिर में तेल लगाते हैं। “पीता” के दिन मृतक के परिवार का शुद्धीकरण किया जाता है।

3.3.2 “दुख नाहानी”

मृत्यु के दसवें दिन “दुखनाहानी” कार्यक्रम होता है। समय का सामाजिक प्रतिबंध न होकर यह धन की उपलब्धता पर तय होता है कि “दुख नाहानी” दसवें दिन ही सम्पन्न होगया या फिर अन्य किसी दिन जब आर्थिक रूप से “दुखनाहानी” करने में परिवार सक्षम हो। इस दिन संबंधी एवं ग्रामवासी मृतक के घर एकत्रित होते हैं। इस दिन “पितर डूमा” को मिलाने तथा “बांधन काटनी” रस्म होता है। “पितर डूमा” को मिलान अर्थात् मृत आत्मा को “डूमा” (पूर्वजों) से मिलाते हैं, इसके पश्चात् मृत व्यक्ति को देव तुल्य माना जाता है। घर के आंगन में “बांधन काटनी” रस्म होता है। इस रस्म को मृतक का भांजा अपने मामा की आत्मा को सांसारिक बंधन से मुक्ति के लिए करता है। भांजा अपने मामा की आत्मा को घर, परिवार, सगा संबंधी से मुक्ति के लिए “बांधन काटनी” रस्म करता है। इसके बदले में भांजा को वस्त्र, अन्न, कांसा, सोना-चांदी, तांबा, गाय, भूमि, बर्तन आदि दान देते हैं। इस दिन भांजे को मामा के विशिष्ट उपयोग में आने वाले “टंगिया” (कुल्हाड़ी), छाता आदि हथियार व आभूषणों को दान स्वरूप दिया जाता है।

अध्याय - चार

सामाजिक संरचना

सामाजिक संरचना समाज के सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष से संबंधित है। प्रत्येक समाज अनेक इकाईयों से मिलकर बना होता है, ये उप इकाईयाँ व्यवस्थित व क्रमबद्ध होकर एक संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहा जाता है। इसमें जनजाति, गोत्र, नातेदारी, प्रथायें, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था आदि सम्मिलित हैं। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति की होती है। जिसमें परिवर्तन अत्यंत धीमी गति से होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक संरचना, सामाजिक समूहों, इकाईयों, संस्था व व्यक्तियों द्वारा स्थितियों व भूमिकाओं की क्रमबद्धता है। गोंड जनजाति की सामाजिक संरचना का विवेचन निम्नानुसार है—

4.1 जनजाति

जनजाति एक गतिशील व्यवस्था है। जनजाति, समाज का खण्डों में विभाजन है, जिसकी सदस्यता जन्माधारित है, यह भोजन, सामाजिक सहवास, व्यवसाय एवं विवाह आदि पर आधारित है। जनजाति अपने सदस्यों को एक विशेष सामाजिक प्रस्थिति प्रदान करती है, जिसमें आजीवन परिवर्तन संभव नहीं है। जनजातियों में जनजातिगत विशिष्टता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता तथा सामाजिक दूरी पायी जाती है।

बस्तर के गोंड जनजाति के संबंध में रसेल एवं हीरालाल के स्वतंत्रता पूर्व ग्रंथ “The Tribes and Castes of the Central Provinces of India”(1916) Vol.- III के पृष्ठ क्र. 64 के अनुसार "The Gonds of Bastar are divided into two groups, the Maria and the Muria. The Maria are the wilder, and are apparently named after the Mad, as the hilly country of Bastar is called. Mr. Hira Lal suggests the derivation of Muria from *mur*, the *palas* tree, which is common in the plains of Bastar, or from *mur*, a root. Both derivations must be considered as conjectural. The Murias are The Gonds who live in the plains and are more civilized than the Marias. (बस्तर के गोंड मुरिया

एवं माड़िया समुहों में विभाजित हैं। जिसमें माड़िया ज्यादा पिछड़े हुए हैं तथा उनका जाति नाम माड़ से उत्पन्न हुआ है जो बस्तर के पहाड़ी क्षेत्र के कहा जाता है। हिरालाल के अनुसार मुरिया शब्द की व्युत्पत्ति 'मूर' अर्थात् बस्तर के मैदानी क्षेत्रों में पाए जाने वाले पलाश वृक्ष से बना है या 'मूर' अर्थात् जड़ से बना हुआ है। दोनों व्युत्पत्तियाँ अनुमानित हैं। मुरिया वह गोंड हैं जो मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तथा माड़िया लोगो से अधिक सभ्य हैं।)

अध्ययन के दौरान पाया गया कि गोंड जनजाति एक स्वतंत्र नृजातीय समुदाय है। बस्तर में मुरिया व माड़िया की तरह गोंड भी एक स्वतंत्र जनजाति है। जो कि बस्तर के केशकाल घाटी के बाद कांकेर की ओर विस्तार है।

गोंड सामाजिक स्तरीकरण में ब्राम्हण, क्षत्रिय व वैश्य जनजातियों को अपने से उच्च तथा शुद्ध जातियाँ मानते हैं। गोंड अपने साथ निवास करने वाले आदिवासी समुदाय में से हल्बा, भतरा को उच्च, कवर व मुरिया को समकक्ष तथा धुरवा व माड़िया को अपने से निम्न मानते हैं। गोंड जनजाति के सदस्यों में स्वजातीय सदस्यों के प्रति एकता, बंधुता, आत्मीयता एवं संगठन की भावना होती है।

4.2 गोत्र

गोंड जनजाति विभिन्न गोत्रों में विभाजित है। एक गोत्र के सदस्य एक-दूसरे को रक्त संबंधी मानते हैं। गोत्र बहिर्विवाही समूह है। किसी विशिष्ट देवी या देवता को एक गोत्र के सदस्य देव मानता है, जिसके वार्षिक या त्रिवार्षिक पूजा में गोत्र के सदस्य मुख्य देव/देवी स्थल में होते हैं। सर्वेक्षित परिवारों में गोंड जनजाति में पाए जाने वाले मुख्य गोत्र निम्न है—

मण्डावी, उइके, अयके, नेताम, पोटाई, गावड़े, दर्री, सलाम, कड़ियाम, मरकाम, मड़काम, मरई, नरेटी, नुरेटी, नुरुटी, गोटी, गोटा, आंचला, आचला, कोमर, मरापी, कोराम, ध्रुव, मरई, कोला, कुमेटी, शोरी, नाग, आयला, ओयला, बुई, कोरेटी, कोड़ेपी, मातलाम, छुरी, दुग्गा तथा वट्टी आदि हैं।

सर्वेक्षित गोंड परिवारों में गोत्र व विवरण सारणी क्रमांक-4.1 में दर्शाया गया

है—

सारणी क्रमांक 4.1 सर्वेक्षित गोंड परिवारों में गोत्र का विवरण

क्रं.	गोत्र	संख्या	प्रतिशत
1	कड़ियाम	6	3
2	कोमरा	2	1
3	कोराम	7	3.5
4	कोड़ेपी	1	0.5
5	कुमेटी	2	1
6	मरकाम / मड़काम	7	3.5
7	मरापी	4	2
8	मातलाम	1	0.5
9	शोरी	2	1
10	सलाम	8	4
11	उइके / अयके	25	12.5
12	उसेण्डी	8	4
13	छुरी	1	0.5
14	दुग्गा	1	0.5
15	वट्टी	1	0.5
16	नेताम	24	12
17	आयला / ओयला	2	1
18	गावड़े	15	7.5
19	ध्रुव	5	2.5
20	बुई	1	0.5
21	कोरेटी	1	0.5
22	कोला	2	1
23	मण्डावी	26	13
24	मरई	5	2.5
25	पोटाई	19	9.5

26	दर्रो	8	4
27	नरेटी / नुरेटी / नुरुटी	6	3
28	नाग	2	1
29	आंचला / आचला	3	1.5
30	गोटी / गोटा	5	2.5
	योग	200	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल 200 सर्वेक्षित गोंड परिवारों में सर्वाधिक 13 प्रतिशत मण्डावी (26) गोत्र के हैं। जबकि न्यूनतम 0.50 प्रतिशत (1) संख्या वाले गोत्र क्रमशः बुई, कोरेटी, कोड़ोपी, कोला, मातलाम, छुरी, दुग्गा एवं वट्टी गोत्र हैं। उपरोक्त सारणी क्र.4.1 में दर्शित स.क्र.01 से 18 तक समगोत्र हैं, जबकि स.क्र 19 से 30 तक विषमगोत्र हैं।

4.3 परिवार

गोंड जनजातीय समाज की प्रारंभिक तथा आधारभूत इकाई है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास, सामाजीकरण एवं संस्कृतिकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। परिवार में दो या अधिक पीढ़ियों के सदस्य निवास करते हैं। गोंड जनजाति के परिवारों में वरिष्ठ पुरुष मुखिया होते हैं। पारिवारिक जीवन का संचालन, निर्णय मुखिया द्वारा किया जाता है। गोंड जनजाति में एकल या केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार पाये जाते हैं। संयुक्त परिवार, युवा सदस्यों के विवाह पश्चात् एकल तथा विस्तृत परिवार विघटित हो जाता है। गोंड परिवारों का वर्गीकरण सारणी क्रमांक-4.2 में दर्शाया गया है —

सारणी क्रमांक 4.2 सर्वेक्षित गोंड का वर्गीकरण

क्र.	आधार	प्रकार		
1	संरचना	केन्द्रीय या एकल	संयुक्त	विस्तृत
2	सत्ता	पितृसत्तात्मक	—	—
3	वंश परंपरा	पितृवंशीय	—	—
4	उत्तराधिकारी	पितृधिकार	—	—
5	आवास	पितृस्थानीय	नवस्थानीय	—
6	विवाह संख्या	एकल विवाही	बहुपत्नी विवाही	—

उपर्युक्त सारणी से गोंड परिवार की संरचना स्पष्ट की है। संरचना के आधार पर केन्द्रीय, संयुक्त तथा विस्तृत परिवार होते हैं। परिवारों में मुखिया या सत्ता पुरुष के पास अर्थात् पितृसत्तात्मक होते हैं। गोंड परिवार पितृवंशीय एवं पितृ अधिकार युक्त होते हैं। इन परिवारों में वंश पुरुष के नाम पर तथा उत्तराधिकार पिता से पुत्रों को प्राप्त होता है। आवास के आधार पर पितृस्थानीय एवं नवस्थानीय परिवार पाये जाते हैं। गोंड दम्पति विवाह के पश्चात् वर के पिता के आवास पर नये आवास में निवास करते हैं। गोंड परिवार एकल विवाही तथा बहुपत्नी विवाही परिवार पाये जाते हैं।

4.3.1 परिवार की संरचना

गोंड जनजातीय परिवार की संरचना सारणी क्रमांक— 4.3 में प्रदर्शित है।

सारणी क्रमांक 4.3 परिवार की संरचना

क्र	प्रकार	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	एकल परिवार	177	88.50
3	संयुक्त परिवार	23	11.50
योग		200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित गोंड परिवार में 88.50 प्रतिशत एकल या केन्द्रीय परिवार तथा 11.50 प्रतिशत संयुक्त परिवार है।

4.3.2 परिवार का आकार

सर्वेक्षित गोंड परिवार में सदस्य संख्या के आधार पर परिवार के आकार का विवरण सारणी क्रमांक—4.4 में दर्शाया गया है —

सारणी क्रमांक 4.4 परिवार का आकार

क्र	सदस्य संख्या	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	2 से कम	03	1.5
2	2—4	60	30
3	5—6	116	58
4	7—8	15	7.5
5	9—10	05	2.5
6	11—12	01	0.5
योग		200	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 58 प्रतिशत (116 परिवारों) में 5-6 सदस्य जबकि न्यूनतम 0.5 प्रतिशत (01 परिवार) में 11 सदस्य निवास करते हैं।

4.3.3 पारिवारिक संबंध

गोंड परिवार में विभिन्न सदस्यों के मध्य संबंध निम्नानुसार दर्शाया गया है—

1. माता—पिता

बच्चे के जन्म को परिवार की पूर्णता माना जाता है। बच्चे के जन्म के पश्चात् माता—पिता बच्चे की देखभाल, पालन—पोषण, दैनिक तथा जीवन की शिक्षा देते हैं। बच्चों के विवाह योग्य होने पर उनका विवाह करते हैं। विवाह के पश्चात् माता—पिता बच्चों के गृहस्थ जीवन के व्यवस्थित होने तक उचित मार्गदर्शन देते हैं एवं निगरानी रखते हैं।

2. पति—पत्नी

गोंड जनजाति में पति—पत्नी का संबंध मधुर, प्रेमयुक्त तथा दायित्वपूर्ण होता है। पति—पत्नी एक दूसरे के प्रति दायित्वों का निर्वहन जिम्मेदारी के साथ करते हैं। पति परिवार के आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता है तो पत्नी के दैनिक कार्यों, साफ—सफाई, बच्चों की देखभाल, भोजन बनाने के साथ—साथ, कृषि, ईंधन, संकलन आदि कार्यों में सहयोग करता है। पति—पत्नी मिलकर माता—पिता तथा परिवार के बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल तथा सेवा—सुश्रुता करते हैं।

3. पिता—पुत्र

पिता—पुत्र का संबंध स्नेह, अनुशासन व नियंत्रण का होता है। पिता किशोरावस्था से पुत्र को आर्थिक कार्यों जैसे—कृषि, पशुपालन, संकलन आदि कार्य में प्रशिक्षित करता है। पिता—पुत्र के प्रति आदर भाव रखता है। उनकी आज्ञापालन के साथ—साथ मार्गदर्शन भी लेता है। पुत्र वृद्धवस्था में पिता की देखभाल करता है।

4. पिता—पुत्री

पिता—पुत्री का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्यपूर्ण होता है। पिता—पुत्री में पिता—पुत्र की अपेक्षा अधिक स्नेह भाव रखता है। पिता किशोरावस्था से ही उसे भावी जीवन की शिक्षा देता है, विवाह के पश्चात् नये परिवार के सदस्यों से सामंजस्य बनाने

की सीख देता है। पुत्री के विवाह योग्य होने पर योग्य वर से उसका विवाह कर पुत्री के सुखी जीवन की कामना करता है।

5. माता-पुत्र

माता-पुत्र का संबंध आत्मीय तथा वात्सल्य से परिपूर्ण होता है माता का पुत्री की अपेक्षा पुत्र से भावनात्मक जुड़ाव अधिक होता है। माता पुत्र का पालन-पोषण, देखभाल पूर्ण मनोयोग से करती है। माता पुत्र को समाज-परिवार के नियम, परम्पराओं की शिक्षा देती है। पुत्र माता की आज्ञा का पालन करता है। माता की देखभाल पूर्ण श्रद्धा से करता है।

6. माता-पुत्री

माता-पुत्री का संबंध वात्सल्यपूर्ण होता है, माता-पुत्री को बाल्यावस्था से ही घरेलू कार्य, सामाजिक-आर्थिक कार्य सिखाती है। माता-पुत्री को पराया धन मानकर ससुराल के नये परिवेश में सफलतापूर्वक सामंजस्य बनाने व सुखी जीवन हेतु शिक्षित करती है।

पुत्री-माता को आदर्श मानकर माता की शिक्षा को जीवन में अपनाने का प्रयास करती है। युवावस्था के पश्चात् माता-पुत्री के संबंध मित्रवत् हो जाते हैं। माता-पुत्री में विवाह के उपरांत बिछड़ने का कष्ट सदैव रहता है किन्तु पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य की पूर्ति का सुख भी रहता है।

7. भाई-भाई

भाई-भाई के मध्य संबंध प्रेमपूर्ण तथा मित्रवत् होता है। छोटा भाई बड़े भाई का आदर व सम्मान करता है तथा बड़ा भाई छोटे भाई के प्रति स्नेह भाव रखता है। पारिवारिक सामाजिक तथा आर्थिक कार्यों का निर्वहन साथ-साथ करते हैं। विवाहोपरांत अलग होने पर भी भाईयों में स्नेह बना रहता है। कुछ परिवारों में विवाहोपरांत पारिवारिक तालमेल न होने एवं संपत्ति विवाद के कारण तनाव भी रहता है।

8. भाई-बहन

भाई-बहन का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। भाई-बहन एक साथ खेलते-सीखते हैं। कई एकल परिवारों में माता-पिता आर्थिक कार्यों में व्यस्त रहने के कारण बड़े

भाई/बहन, छोटे भाई/बहनों का घर में देख-रेख करते हैं। विवाह के पश्चात् भी भाई-बहन यथावत् बने रहते हैं। दोनों एक दूसरे के सुख-दुख की जानकारी लेते रहते हैं।

9. बहन-बहन

बहनों का आपसी संबंध प्रेमपूर्ण होता है। बड़ी बहन छोटी बहन को घरेलू कार्य सिखाती है तथा छोटी बहन बड़ी बहन के कार्यों में सहयोग करती है। बड़े होने पर विवाह के उपरांत भी बहनों में स्नेहभाव बना रहता है।

10. सास-बहू

सास-बहू का संबंध आदर-सम्मान, कर्त्तव्य तथा अपेक्षा पर आधारित है। सास अपनी बहु से आदर-सम्मान, पारिवारिक कर्त्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को बखूबी निर्वहन की अपेक्षा रखती है। सास-बहू में आपसी ताल-मेल अच्छा रहने पर पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है। कई परिवारों में सास-बहू एक दूसरे की अपेक्षाओं की पूर्ति न करने के कारण आपसी संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं।

11. ससुर-बहू

ससुर बहू के संबंध परिहार संबंध में आते हैं। बहु ससुर का पिता तुल्य आदर-सम्मान करती है।

12. देवर-भाभी

देवर-भाभी का संबंध परिहास संबंध की श्रेणी के अंतर्गत है। देवर-भाभी के संबंध स्नेहपूर्ण तथा मित्रवत् होते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भावी जीवनसाथी की भूमिका भी तय हो सकती है।

13. ननद-भाभी

ननद भाभी का संबंध स्नेहपूर्ण होता है। दोनों एक दूसरे की आवश्यकता एवं अपेक्षा की पूर्ति का प्रयास करते हैं। ननद के विवाह के पश्चात् ननद-भाभी के संबंध अधिक मधुर हो जाते हैं। कई परिवारों में ननद-भाभी के मध्य सांमजस्य न होने की स्थिति में पारिवारिक वातावरण तनावपूर्ण हो जाता है।

गोंड जनजाति में पारिवारिक संबंध मजबूत पाये जाते हैं। प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे के प्रति आदर-सम्मान व कर्त्तव्य का भाव रखता है। सर्वेक्षण के दौरान संयुक्त

परिवार एवं विस्तृत परिवार की संख्या उपरोक्त धारणा को पुष्ट करते हैं।

4.4 नातेदारी

गोंड जनजाति में नातेदारी को निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है—

4.4.1 नातेदारी प्रकार

गोंड जनजाति में नातेदारी संबंध दो प्रकार के होते हैं—

अ. रक्त संबंधी

रक्त संबंधी नातेदारी, श्रेणी के अंतर्गत ऐसे सदस्य शामिल हैं जो एक-दूसरे से रक्त संबंध के आधार पर संबंधित हो जैसे— माता-पिता, भाई-भाई, भाई-बहन आदि।

ब. विवाह संबंधी

विवाह संबंधी नातेदारी श्रेणी के अंतर्गत विवाह द्वारा एक दूसरे से संबंध सदस्य तथा दोनों परिवार के सदस्य शामिल हैं। जैसे— पति-पत्नी, सास-ससुर, जीजा-साला आदि।

4.4.2 नातेदारी श्रेणी

गोंड जनजाति में नातेदारी श्रेणी निम्न है—

अ. प्राथमिक संबंधी

प्राथमिक संबंधी से तात्पर्य ऐसे संबंधी से है जो प्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे से जुड़े होते हैं जैसे— पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई, बहन-बहन, भाई-बहन आदि।

ब. द्वितीयक संबंधी

द्वितीयक संबंधी से तात्पर्य है ऐसे संबंधी से है जो किसी व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी हो। जैसे—चाचा एवं भतीजा एक दूसरे के द्वितीयक संबंधी होंगे क्योंकि चाचा का भाई अर्थात् लड़के का पिता आपस में प्राथमिक संबंधी है उसी तरह पिता-पुत्र आपस में प्राथमिक संबंधी है। अतः व्यक्ति के प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी होगा।

स. तृतीयक संबंधी

किसी व्यक्ति के द्वितीयक संबंधी का प्राथमिक संबंधी का तृतीयक संबंधी होगा।

4.4.3 नातेदारी शब्दावली

गोंड जनजाति में विभिन्न संबंधियों द्वारा संबोधन हेतु प्रयोग किये जाने वाले शब्द निम्नांकित हैं—

क. केन्द्रीय परिवार

क्र.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	पत्नी	डोकरी / पत्नि	स्थान या बच्चे के नाम के आधार पर (माध्यमिक संबोधन)
2	पति	मनुक / आदमी	स्थान या बच्चे के नाम के आधार पर (माध्यमिक संबोधन)
3	पिता	बाबा / काका	बाबा
4	माता	माँ / दाई	माँ / दाई
5	बड़ा पुत्र	बेटा	नाम से, बाबू
6	छोटा पुत्र	बेटा	नाम से, बाबू
7	बड़ी पुत्री	बेटी	नाम से, नोनी
8	छोटी पुत्री	बेटी	नाम से, नोनी
9	बड़ा भाई	बड़ा भाई	दादा
10	छोटा भाई	छोटा भाई	नाम से, बाबू
11	बड़ी बहन	बड़ी बहन	दीदी
12	छोटी बहन	छोटी बहन	नाम से, नोनी

ख. संयुक्त परिवार

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	पुत्र का पुत्र	नाती	नाम से, बाबू
2	पुत्र की पुत्री	नातिन	नाम से, नोनी
3	पुत्र की पत्नि	बहू / बहुरीया	बहू / बहुरीया
4	पिता के पिता	दादा	दादा
5	पिता की माता	आई / दादी	आई / दादी
6	पिता के बड़े भाई	बड़े बाबा / बड़का	बड़े बाबा / बड़का
7	पिता के बड़े भाई की पत्नि	बड़की दाई	बड़की
8	पिता के बड़े भाई का पुत्र	भाई	भाई / दादा
9	पिता के बड़े भाई की पुत्री	बहन	दीदी / नोनी / नाम से
10	पिता के छोटे भाई	काका	काका
11	पिता के छोटे भाई की पत्नि	काकी	काकी

12	पिता की बहन	बूआ	बूआ
13	बड़े भाई की पत्नि	बऊ / भऊजी	बऊ / भऊजी
14	छोटे भाई की पत्नि	भाई बहू	बहुरीया, माध्यमिक संबोधन
15	छोटे भाई का पुत्र	भतीजा / भतीजा बेटा	नाम से, बाबू
16	छोटे भाई की पुत्री	भतीजी	नाम से, नोनी
17	बड़े भाई का पुत्र	भतीजा / भतीजा बेटा	नाम से, बाबू
18	बड़े भाई की पुत्री	भतीजी	नाम से, नोनी
19	पति के पिता	सुसरा	सुसरा, मामा
20	पति की माँ	सास	माँ / दाई / मामी
21	पति के बड़े भाई	सुसरा	सुसरा, दादा
22	पति के बड़े भाई की पत्नि	जेठानी	दीदी
23	पति के छोटे भाई	देवर	बाबू
24	पति के छोटे भाई की पत्नि	देवरानी	नोनी, बहुरीया
25	पति की बड़ी बहन	डेढ़ सास	दीदी
26	पति की छोटी बहन	ननद	नोनी, नाम से

ग. मातृपक्ष

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	माँ का भाई	मामा	मामा
2	माता के भाई की पत्नि	मामी	मामी
3	माता की बड़ी बहन	बड़की दाई / मौसी	बड़की दाई / मौसी
4	माता की छोटी बहन	मौसी	मौसी
5	माता के पिता	आजा / नाना	आजा / नाना
6	माता की माता	काको / नानी	काको / नानी
7	माता के भाई का पुत्र	मैना भाई	नाम से, मैना भाई
8	माता के भाई की पुत्री	मैना बहन	नाम से, मैना बहन
9	माता के बड़ी बहन का पति	मौसा	मौसा / बड़का
10	माता की छोटी बहन का पति	मौसा	मौसा

घ. स्वयं का ससुराल

क्रं.	संबंध	संदर्भ शब्द	संबोधन शब्द
1	पत्नी के पिता	ससुर / मामा	ससुर / मामा
2	पत्नी की माता	सास / मामी	मामी / माँ / दाई
3	पत्नी के बड़े भाई	डेढ़ साला	दादा
4	पत्नि के बड़े भाई की पत्नि	बहिन	दीदी

5	पत्नि का छोटा भाई	सारा	बाबू नाम से, सारा
6	पत्नि के छोटे भाई की पत्नि	बहिन	बहुरीया
7	पत्नि की बड़ी बहन	डेढ़ सास	दीदी
8	पत्नि के बड़ी बहन की पति	साढ़ू	दादा, साढ़ू
9	पत्नि की छोटी बहन	सारी	नाम से, नोनी, सारी
10	पत्नि की छोटी बहन के पति	साढ़ू	साढ़ू
11	पत्नि के भाई का पुत्र	भांचा	भांचा
12	पत्नि के भाई की पुत्री	भांची	भांची
13	पत्नि की बहन का पुत्र	बहिन बेटा	बाबू नाम से
14	पत्नि की बहन की पुत्री	बहिन बेटी	नोनी, नाम से
15	पत्नि के पिता की बड़ी बहिन	बड़कीदाई/बड़कीसास	बड़की दाई
16	पत्नि के पिता की छोटी बहिन	मौसी दाई/सान सास	मौसी दाई
17	पत्नि के पिता के पिता	बड़का आजा	बड़का आजा
18	पत्नि के पिता की माता	बड़की नानी/आजी	बड़की नानी/आजी,

4.4.4 नातेदारी रीतियाँ

गोंड जनजाति में कुछ संबंधियों के मध्य विशेष प्रकार की नातेदारी रीतियाँ या व्यवहार प्रचलित हैं। जो निम्न हैं—

अ. परिहास संबंध या निकटागमन

गोंड जनजाति में परिहास संबंध को 'हांसी नाता' कहते हैं। परिहास संबंध में कुछ विवाह संबंधियों में हास—परिहास के कारण आपसी संबंध मधुर हो जाते हैं। यह संबंध आपसी रिश्ते को निकटता तथा मजबूती प्रदान करने हेतु तथा भविष्य की संभावना को भी दर्शाता है। इस प्रकार के संबंध को सामाजिक मान्यता प्राप्त है। संबंधियों में यह मान्य है—

1. देवर — भाभी
2. जीजा — साली, साला
3. समधी — समधन
4. नाना — नाती—नातिन
5. दादी — पोता—पोती

ब. परिहार संबंध

गोंड जनजाति में परिहास संबंध में विपरीत परिहार संबंध पाया जाता है। इसमें कुछ विशिष्ट वैवाहिक संबंधियों को दूर रखा जाता है। परिहार संबंध में प्रत्यक्ष बातचीत नहीं किया जाता है, एक-दूसरे को स्पर्श करना वर्जित है। इन नियमों का अनिवार्य रूप से परिहार संबंधियों को पालन करना पड़ता है। गोंड जनजाति में परिहार संबंध इस प्रकार है—

- | | | | |
|----|-------|---|---------|
| 1. | जेठ | — | बहू |
| 2. | ससुर | — | बहू |
| 3. | सास | — | दामाद |
| 4. | दामाद | — | डेढ़सास |

स. माध्यमिक संबोधन

गोंड जनजाति में कुछ संबंधियों द्वारा परस्पर संबोधन हेतु किसी माध्यम जैसे—बच्चे, ग्राम आदि का सहारा लेकर संबोधित किया जाता है। इस प्रकार माध्यमिक संबोधन पति—पत्नि, भाई—बहू, दामाद, सास—ससुर हेतु उपयोग किया जाता है। पति अपनी पत्नि को बुलाने हेतु बच्चे या पत्नि के मायके ग्राम के नाम का उपयोग किया जाता है।

वर्तमान में माध्यमिक संबोधन का प्रचलन कम हो रहा है। पति—पत्नि को नाम से संबोधित करने लगे हैं। पत्नि शासकीय तथा अन्य आवश्यक कार्य होने पर पति का नाम लेने लगी है।

द. मित/मितान संबंध

गोंड जनजाति में नातेदारी संबंधों के अतिरिक्त स्वजातीय या भिन्न जनजातियों से निकटता दर्शाने वाले मित/मितान संबंध भी पाये जाते हैं। यह मित्रता संबंध है जो दो व्यक्ति तथा उसके परिवार को आजीवन एक दूसरे के निकट स्थापित कर देता है। गोंड जनजाति में स्वजातीय तथा ग्राम में निवासरत अन्य जातीय सदस्यों से सदभाव, घनिष्ठता तथा सहयोग के उद्देश्य से संबंध बनाते हैं। समान लिंग—आयु के दो सदस्य अपने मित्रता संबंध को अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से

मित/मितान संबंध बनाते हैं। मित/मितान संबंध बनाने हेतु दोनों व्यक्ति ग्रामवासियों की उपस्थिति में ग्राम देवी/देवता के समक्ष पूजा अर्चना कर मीत सैनाव-सैनीई, महाप्रसाद, मितान आदि बंधते हैं। गोंड जनजाति के सदस्य स्वजातीय एवं अन्य जाति के सदस्यों से मित/मितान संबंध बनाते हैं।

इ. अन्तरजातीय संबंध

गोंड जनजाति निवास क्षेत्र में ब्राह्मण, ठाकुर, धाकड़ राउत, तेली, कुम्हार, भतरा, हल्बा, मुरिया, गदबा, गोंड, माड़िया, धुरवा, पनका, माहरा, लोहार, धोबी, गांडा, आदि जाति-जनजाति निवासरत है। एक साथ निवास करने के कारण इन जातियों में पारस्परिक औपचारिक संबंध पाये जाते हैं। इस कारण ये आयु-लिंग के आधार पर सम्मानपूर्वक एक-दूसरे को नातेदारी शब्द से संबोधित करते हैं। इन जनजातियों में जातिगत कार्यों के आधार पर पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। गोंड जनजाति दैनिक जीवन में मिट्टी के बर्तन हेतु कुम्हार, लौह कार्य हेतु लोहार आदि जनजातियों से पारस्परिक निर्भरता पाया जाता है। गोंड कृषि मजदूरी या "मदद" (सहयोग) के रूप में अन्य जनजातियों का कार्य करते हैं। इस प्रकार ग्रामों के विभिन्न जाति-जनजातियों में प्रत्यक्ष पारस्परिक संबंध पाये जाते हैं तथा एक साथ पीढ़ी दर पीढ़ी निवास करने के कारण आपसी सामंजस्य तथा सद्भाव पाया जाता है।

इसके साथ ही गोंड ग्रामों में जन्म, खान-पान तथा कार्य के आधार पर जनजातियों में स्तरीकरण पाया जाता है। जिसमें जनजातियों को उच्च, सामान व निम्न रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जनजाति तथा ग्रामों में निवासरत अन्य जनजातियों के सामाजिक स्तरीकरण को निम्न रूप में दर्शाया गया है—

सामाजिक स्तरीकरण का विवरण

क्र.	स्तर	जनजातियाँ
1	उच्च	ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, राउत, हल्बा, कुम्हार
2	समकक्ष	मुरिया, माड़िया, कंवर
3	निम्न	पनका, लोहार, गांडा, माहरा

अध्याय - पांच राजनीतिक संगठन

मानव समाज में संगठन तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए राजनीतिक संगठन जरूरी है। राजनीतिक संगठन सामाजिक प्रतिमान तथा सामाजिक नियंत्रण के अनेक साधन होते हैं। सरल समाजों में ये साधन अनौपचारिक, अचेतन, अप्रत्यक्ष एवं सहज होते हैं। इन समाजों में सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखने के लिए विशिष्ट राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो प्रथाओं तथा धार्मिक रीति के सामंजस्य से कार्य करता है। गोंड जनजाति में द्विस्तरीय राजनीतिक संगठन पाया जाता है। जो कि जाति पंचायत के रूप में कार्य करता है।

5.1 ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत

गोंड जनजातीय ग्रामों में ग्राम स्तर पर जनजाति के सदस्यों से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत होता है। इसमें ग्राम या समीप के अंतर ग्राम से संबंधित छोटे मामलों का निपटारा किया जाता है। इसका विवरण निम्न है—

5.1.1 कार्यकारिणी— गोंड जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में नाईक, पाईक, पुजारी तथा सहयोग हेतु “सियान” (बुजुर्ग परिषद) के रूप में सहायता करते हैं।

अ. पाईक —ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत के मुखिया को “पाईक” या “छोटा नाईक” कहते हैं। पाईक या छोटा नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र आयोग्य हो या पाईक का पद संभालने के अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को पाईक का पद दिया जाता है। यदि पाईक निःसंतान है उसके भाईयों के पुत्र को, यदि पाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवस्यक है तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को पाईक बनाते हैं।

पाईक का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों में निर्णय करना, ग्राम क्षेत्र में घटित बड़े अपराध की सूचना नाईक को देना, गोंड व अन्य जनजाति के मामलों

के निपटारों में गोंड जनजाति का प्रतिनिधित्व करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों को शुद्धीकरण में नाईक का सहयोग करना आदि।

ब. ("पेरमा" / पुजारी)— पुजारी, ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक का सहयोगी होता है। वह जनजाति पंचायत में धर्म, अशुद्धि तथा भूमि संबंधी मामलों में पाईक की मदद करता है। पुजारी का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या पुजारी का पद संभालने के अनिच्छुक है तो सर्वसम्मति से उसके परिवार के अन्य व्यक्ति को पुजारी बनाते हैं।

पुजारी का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक का सहयोग करना, समाज के बड़े अपराध में दोषी, बहिष्कृत तथा अशुद्ध लोगों को शुद्धीकरण में सहयोग करना, ग्राम स्तर के धार्मिक आयोजनों को पाईक के सहयोग से पूर्ण करना, ग्राम स्तर के भूमि संबंधी मामलों को निपटाने हेतु मशवरा देना आदि है।

स. बुजुर्ग परिषद्—गोंड जनजाति के ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में पाईक के सहयोग हेतु बुजुर्ग व्यक्तियों का समूह होता है। गोंड जनजाति में बुजुर्ग व्यक्ति को "सियान" कहते हैं। बुजुर्ग परिषद में पांच से सात सदस्य होते हैं। ये "सियान" या बुजुर्ग व्यक्ति ग्राम में जनजाति के योग्य, अनुभवी, प्रतिष्ठित तथा जानकार व्यक्ति होते हैं। इनका सर्वसम्मति से चयन किया जाता है।

"सियान" या बुजुर्ग परिषद का मुख्य कार्य ग्राम स्तर के विवादों, मामलों के निपटारे में पाईक के लिए विचार-विमर्श करना तथा पाईक को निर्णय लेने में सहयोग करना, उच्च स्तरीय पंचायत में लिये गये निर्णय के पालन की निगरानी करना, ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक कार्यों में सहयोग करना, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

1.1.2 न्याय प्रक्रिया—गोंड ग्राम स्तरीय जनजाति पंचायत में ग्राम स्तर पर घटित या स्वजाति के अंतर ग्राम के छोटे मामलों या अपराधों का निपटारा किया जाता है। छोटे अपराध के अंतर्गत चोरी, मारपीट, फसल को नुकसान पहुंचाना, आगजनी, ग्राम की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, छेड़छाड़ आदि आते हैं। अपराध घटित होने के पश्चात् पीड़ित व्यक्ति पाईक या बुजुर्ग परिषद के किसी सदस्य को सूचित

करता है। इसके पश्चात् पाईक व बुजुर्ग परिषद के सदस्य मामले की गंभीरता के अनुसार सुनवाई की तिथि, स्थान तथा समय नियत कर सभी को सूचित करते हैं। सुनवाई में सभी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाता है। इसके पश्चात् पाईक तथा बुजुर्ग परिषद आपस में विचार-विमर्श कर निर्णय करते हैं। निर्णय पाईक द्वारा घोषित किया जाता है। दोषी को जुर्माना, चेतावनी, भोज का दण्ड दिया जाता है।

1.2 क्षेत्रीय या “परगना” स्तरीय जनजाति पंचायत

10-20 ग्रामों के समूह पर गठित जनजाति के राजनीतिक संगठन को क्षेत्रीय स्तर पर “परगना जाति पंचायत” कहते हैं। जनजाति पंचायत का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित गंभीर या बड़े अपराधों का निपटारा करना है। परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी निम्न है—

5.2.1 कार्यकारिणी —गोंड जनजाति के परगना जनजाति पंचायत की कार्यकारिणी में “नाईक”, “पाईक” तथा सहयोग हेतु “सियान” (बुजुर्ग परिषद) होता है।

अ. नाईक

क्षेत्रीय स्तर या परगना जनजाति पंचायत का प्रमुख पद “नाईक” होता है। नाईक परगना के अंतर्गत आने वाले ग्रामों का प्रमुख होता है। नाईक का पद वंशानुगत होता है, जो पिता के पश्चात् बड़े पुत्र को हस्तांतरित होता है। यदि बड़ा पुत्र अयोग्य हो या नाईक का पद संभालने को अनिच्छुक है तो उसके किसी योग्य भाई को नाईक का पद दिया जाता है। यदि नाईक निःसंतान है तो उसके भाईयों के पुत्र को, नाईक की मृत्यु के पश्चात् उसका पुत्र अवस्यक है। तो सर्वसम्मति से परिवार के अन्य व्यक्ति को नाईक बनाते हैं।

नाईक का मुख्य कार्य क्षेत्र में घटित बड़े अपराधों अर्थात् निकटागमन संबंधी मामले तथा सामाजिक रूप से बहिष्कृत या समाज से बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी मामले का निपटारा करना, ग्राम स्तर पर लिये गये निर्णय के विरुद्ध अपील का निपटारा करना, एकाधिक गोंड ग्राम के मामलों का निपटारा करना, सामाजिक नियमों तथा निर्णय के पालन तथा उल्लंघन की निगरानी

करना, बस्तर दशहरा पूर्व में बस्तर रियासत काल के दौरान विभिन्न अवसरों पर जनजाति संबंधी मामलों में परगना का प्रतिनिधित्व करना।

ब. पाईक तथा बुजुर्ग परिषद

गोंड जनजाति के परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में नाईक के कार्यों में सहयोग हेतु परगना के अंतर्गत ग्रामों के पाईक तथा परगना क्षेत्र के प्रमुख तथा प्रभावशाली बुजुर्ग या सियान व्यक्तियों का एक समूह होता है। पाईक तथा बुजुर्ग परिषद का कार्य नाईक के कार्यों में सहयोग करना, जात-पात या बहिष्कृत व्यक्ति या परिवार को समाज में पुनः मिलाने संबंधी कार्य में नाईक का सहयोग करना तथा ग्राम स्तर पर होने वाले धार्मिक, सामाजिक गतिविधियों की निगरानी करना आदि है।

5.2.2 न्याय प्रक्रिया

परगना स्तरीय जनजाति पंचायत के अंतर्गत परगना में शामिल ग्राम में बड़े अपराध जैसे— अंतरजातीय विवाह, पलायन विवाह, गाय मारना (गौ हत्या) तथा रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ने की घटना घटित होने पर परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में ग्राम के पाईक द्वारा सूचित किया जाता है। इसके पश्चात् परगना के सभी पाईक को बैठक का स्थान, तिथि व समय की सूचना देते हैं। नियत तिथि को सभी के उपस्थित होने पर सुनवाई होती है। सुनवाई के पश्चात् नाईक, पाईक तथा बुजुर्ग परिषद मिलकर विचार-विमर्श कर निर्णय करते हैं, जिसे नाईक सबके समक्ष घोषित करता है। दोषी को जुर्माना, सामाजिक भोज एवं “जातबाहर” (जनजाति बहिष्कार) का दण्ड दिया जाता है।

5.3 अपराध एवं दण्ड

गोंड जनजाति में सामाजिक नियमों के विरुद्ध तथा व्यक्ति के हित के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध की गंभीरता की दृष्टि से इसे दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—

5.3.1 छोटे अपराध

छोटे अपराध के अंतर्गत गोंड जनजाति के सदस्य द्वारा गोंड जनजाति या अन्य जनजाति के व्यक्ति के घर चोरी, मारपीट, फसल को नुकसान पहुंचाना,

छेड़छाड़ आदि आते हैं। इसकी सुनवाई तथा निपटारा ग्राम स्तर के जनजाति पंचायत में होता है।

5.3.2 बड़े अपराध

बड़े अपराध के अंतर्गत गोंड जनजाति के सदस्य द्वारा गौ हत्या, बलात्कार, अंतर्जातीय विवाह, पलायन विवाह, किसी गोंड सदस्य के किसी गोंड सदस्य का रोग के कारण शरीर में कीड़े पड़ना आदि के मामले आते हैं। इसकी सुनवाई तथा निपटारा परगना स्तरीय जनजाति पंचायत में होता है।

5.4 आधुनिक जातीय संगठन

वर्तमान में गोंड जनजाति पर आधुनिकता, बाहरी संपर्क, पंचायत राज तथा अन्य समाज के प्रभाव के कारण परंपरागत जनजाति पंचायत का प्रभाव कम हो रहा है। इस कारण गोंड जनजाति के शिक्षित, जागरूक तथा प्रगतिशील सदस्यों द्वारा समाज को जागरूक, संगठित तथा विकास मार्ग पर अग्रसर करने हेतु बस्तर संभाग में आधुनिक जातीय सामाजिक संगठन का गठन किया गया है। इसमें संभाग, जिला एवं तहसील स्तर पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी पद है। वर्तमान में उपरोक्त जातीय संगठन द्वारा तत्कालिक समस्याओं को सुलझाने, समाज सुधार तथा सामाजिक विकास के क्षेत्र में निरंतर प्रयासरत हैं। इस हेतु वे शासन से पंजीकृत अखिल भारतीय संस्था व अन्य समिति गठित कर कार्य कर रहे हैं। गोंड जनजातीय समुदाय के राजनैतिक प्रतिनिधित्व राज्य व केन्द्र शासन में मंत्री व सांसद पदों के दायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं।

अध्याय - छः धार्मिक जीवन

गोंड जनजातीय धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक शक्ति तथा देवी-देवताओं के विश्वास पर आधारित है। गोंड आलौकिक या अधिमानवीय शक्तियों के समक्ष समर्पण कर अपने प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के पूर्णता हेतु कामना करते हैं तथा कार्य सिद्ध होने पर आराधना करते हैं, बलि के माध्यम से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गोंड जनजाति में धर्म दैनिक जीवन, सामाजिक-आर्थिक, जीवन संस्कार में गुंथा हुआ है, यह सामाजिक एकीकरण एवं सामाजिक समरसता बनाये रखने हेतु आवश्यक है। गोंड जनजाति के देवी-देवता निम्न है—

6.1 देवी-देवता

गोंड जनजाति के देवी-देवताओं का विवरण निम्न है—

6.1.1 “कुटुम देव” (कुल देवी-देवता)

गोंड जनजाति में गृह देवी-देवता, गोत्र तथा परिवार के अनुसार नियत है। प्रत्येक गोत्र के सदस्य अपने घरों में तीन स्थल पर देवी-देवता का वास मानते हैं :—

अ. “मुदियाल लोन” (पूजा कक्ष)

गोंड जनजातीय सदस्य के आवास के अंदर के पूजा कक्ष को “देवघर” या “डूमाघर” कहते हैं, जिसके एक किनारे में मिट्टी का चबूतरा बना होता है, जिसमें तीन देवी-देवताओं के प्रतीक के रूप में पहला, एक चाकू गाड़ते हैं। दूसरा लकड़ी का खूंट तथा तीसरा, मिट्टी की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। यह परिवार के गृह तथा पूर्वज देवी-देवता होते हैं। प्रत्येक त्यौहार में इन गृह देवी-देवताओं की विशेष पूजा किया जाता है।

ब. “कोड़का” (गौशाला)

गोंड परिवार के पशुशाला में पशुओं की रक्षा करने वाली “बंजारिन माता” (बंजारिन देवी) को स्थापित किया जाता है। जिनकी “दियारी” त्यौहार में विशेष पूजा करते हैं तथा बलि देते हैं।

स. आँगन

प्रत्येक गोंड परिवार के आवास के प्रवेश द्वार में “दुआर मुंडिया” देव को स्थापित किया जाता है। परिवार के मुखिया द्वारा प्रत्येक त्यौहार में “दुआर मुंडिया” देव की पूजा कर आवश्यकतानुसार बलि दिया जाता है। “दुआर मुंडिया” देव घर, बाड़ी, आँगन की सुरक्षा व बुरी आत्माओं से बचाव करता है।

6.1.2 ग्राम देवी—देवता

ग्राम देवी—देवता के अंतर्गत वे देवी—देवता शामिल हैं जिन्हें सभी गोंड परिवार पूजा अर्चना करते हैं। इन देवी—देवताओं को ग्राम के अन्य जनजातियाँ भी पूजा करते हैं। इन देवी—देवताओं को “देवगुड़ी” या मंदिर में स्थापित किया जाता है। देवगुड़ी ग्राम के मध्य या ग्राम से बाहर स्थित होता है, इसमें ग्राम के मुख्य देवी—देवता “तलुरमुत्ते”, “शीतला माता”, “मावली माता”, लिंगोपेन, ठाकुर देव, काली माता, कंकालीन माता, परदेशीन माता आदि में से दो—तीन देवी—देवताओं को स्थापित किया जाता है। इन देवी—देवताओं की सभी प्रमुख अवसरों पर पूजा किया जाता है व बलि चढ़ाया जाता है। ग्राम में स्थापित प्रमुख देवी—देवता निम्न है—

अ. तलुरमुत्ते (ग्राम देवी)

“तलुरमुत्ते”, ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। इन्हे अलग—अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। समस्त त्यौहार उत्सवों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चॉवल, पशुबलि आदि अर्पित कर विशेष पूजा किया जाता है।

ब. मावली माता

मावली माता— ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। इन्हे अलग—अलग ग्रामों में पृथक नामों से पूजा किया जाता है। समस्त त्यौहार उत्सवों में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चॉवल, पशुबलि आदि अर्पित कर विशेष पूजा किया जाता है।

स. शीतला माता

शीतला माता, ग्राम देवी हैं, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा

से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। सभी तीज-त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चावल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

द. परदेशीन माता

परदेशीन देवी ग्राम देवी है, जो दैवीय प्रकोप, बुरी आत्माओं, प्राकृतिक आपदा से ग्रामीणों की सुरक्षा करती हैं। सभी तीज-त्यौहार में नारियल, धूप, अगरबत्ती, चावल, बलि से पूजा किया जाता है। प्रति वर्ष या तीन वर्षों में विशेष पूजा होती है।

फ. बुढ़ादेव/लिंगोपेन

लिंगोपेन/बुढ़ा देव को कुल देवता व जाति विशेष के देव होने के साथ-साथ कई ग्रामों में ग्राम देवता के रूप में मान्यता प्राप्त है। विवाह के अवसर पर दूल्हा देव की पूजा किया जाता है। बुढ़ादेव नवजीवन, सुख-शांति प्रदान करने वाले देवता माने जाते हैं।

6.1.3 रिसायत स्तर के देवी-देवता

बस्तर राज्य की समस्त आराध्य देवी-देवताओं को संपूर्ण रियासत में प्रमुख देवी-देवताओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। गोंड जनजाति के सदस्य प्रमुख देवी-देवता के रूप में दंतेश्वरी देवी, भैरम देव, आंगा पाटा की आराधना करते हैं।

गोंड जनजातीय सदस्य कुल देवी-देवता, ग्राम देवी-देवता व रियासत कालीन देवी-देवता के साथ ही कुछ स्थान व परिवारों में उसे मुदिया, रामलाल मुदिया, भीमा, भंगाराम, भैरम, चिकटराज, रासमाता, मेजेदेव, सहाड़ा देव, भंईसासूर व गौरा-गौरी आदि देवी-देवताओं का भी पूजा अर्चना करते हैं।

6.2 प्रमुख त्यौहार

गोंड जनजाति के प्रमुख त्यौहार निम्नांकित हैं –

6.2.1 'हेसला दोसना तिहार' / "सेसा"

पूर्ण जनजातीय के सदस्य अपने आराध्य देवी देवता को माघ माह में धान, कोदो-कुटकी, उड़द, मंडीया आदि अर्पित कर उसे खाना/उपभोग करना प्रारंभ करते हैं।

6.2.2. चैतरई परब(आमा तिहार)

गोंड जनजाति के सदस्य अपने आराध्य देव को अर्पित करने के बाद ही किसी फसल को ग्रहण करते हैं। चैतरई उत्सव का शुभारंभ पारंपरिक ढंग से बुढ़ादेव के आराधना से किया जाता है। इस उत्सव में अपने आराध्य देव को आम, महुआ, चार, जामुन आदि वनोंपजों को अर्पण करके मुर्गे आदि की बली दी जाती है। साथ ही नाच गान भी होता है।

6.2.3. “विज्जा कोर” (माटी तिहार)

माटी तिहार पर्व मार्च के चतुर्थ सप्ताह(चैत्र शुक्ल) से बनाया जाता है जो सप्ताह भर ग्राम वासियों के सुविधानुसार व पुजारी द्वारा तय की गई तिथि में किसी एक दिन बनाया जाता है। इसे ‘बीजपुटनी’ भी कहते हैं। पराम्पारिक ढंग से सुनियोजित होकर इस दिन ‘पारधी’ (शिकार) किया जाता है। यह इनके जीविकोपार्जन के पारंपरिक स्मृति के रूप में आज भी उत्साह से मनाया जाता है आखेट से प्राप्त शिकार को आपस में समान भाग में बटवारा किया जाता है। शासन के शिकार कपर अंकुश व जंगली जीवों के लुप्त होने से प्रतिकात्मक छोटे जीवों का ही शिकार किया जाता है। जिसे ‘देवकोट’ / ‘माटी कोट’(देव स्थल) पर देवता को अर्पण कर भोग लगाया जाता है। इस दिन ‘माटी देव’ की पूजा अर्थात् ‘माटी सेवा’ की जाती है / धरती की पूजा की जाती है। इस स्थल पर कृषि उपकरणों की भी पूजा की जाती है।

6.2.4. “कोहला पुनांग / अमुस / आमाऊस / हरेली

अमुस त्यौहार सावन मास के भाद्रपद (भादौ मास) के अमावस्या तिथि को मानते हैं, इसमें ग्राम देवी-देवता की पूजा, पशु सुरक्षा, ग्राम सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है। इस त्यौहार हेतु प्रत्येक परिवार से चंदा या सहयोग राशि एकत्र किया जाता है। इस दिन ग्राम के पुरुष “देवगुड़ी” (मंदिर) में उपस्थित होते हैं। पुजारी वन से कुछ विशेष वृक्षों की टहनियां लाता है और “देवगुड़ी” (मंदिर) में अगरबत्ती, चावल, नारियल, लाली आदि से पूजा कर “देवगुड़ी” (मंदिर) के छत में वृक्षों की टहनियां लगता है। पूजा के प्रसाद को केवल पुरुषों द्वारा ग्रहण किया जाता है। पूजा के

उपरांत पुजारी द्वारा प्रत्येक घर के द्वार में बुरी आत्माओं के प्रकोप से बचाव हेतु टहनी लगाता है। खेत और बाड़ी में टहनी बुरी नजर से बचाव के लिये लगाते हैं।

6.2.5. नुआखानी/नवाखाई

नुआखानी त्यौहार भादों माह के शुक्ल पक्ष में नये अनाज ग्रहण करना प्रारंभ करने के लिए मनाया जाता है। कभी-कभी ग्राम पुजारी आने गणना अनुसार उसके बाद का दिन भी तय कर सकते हैं। इस त्यौहार हेतु घर की साफ-सफाई, लिपाई-पोताई किया जाता है। इस दिन सुबह सभी पुरुष सदस्य ग्राम देवता के “देवगुड़ी” (मंदिर) में एकत्र होते हैं। पुजारी ग्राम देवी-देवता की पूजा कर धान की नयी बाली को मंदर के चौखट पर बांध देता है और सभी पुरुषों को प्रसाद वितरित करता है। परिवार का मुखिया गृह देवी-देवताओं की पूजा करता है तथा मुर्गे/बकरा की बलि देता है। इसके बाद घर के सदस्य नये अन्न का देवी-देवताओं को अर्पित प्रसाद ग्रहण करते हैं और खुशियां मनाते हैं।

इस त्यौहार को ‘धान तिहार’ व ‘जीर्ण तिहार’ भी कहते हैं।

6.2.6. ‘चरू’

गोंड जनजाति के सदस्य वर्षभर अपने खेत में कमाते हैं। खेती के सलामती हेतु देवी देवताओं को पशु बली व शराब अर्पित करते हैं। इस दिन भैंसासुर देव का पूजा किया जाता है।

6.2.7. दियारी

दियारी त्यौहार कार्तिक माह में मनाया जाता है। यह त्यौहार पशु धन के सम्मान में मनाया जाता है। इस त्यौहार में पशुओं को नये फसल से प्राप्त अन्न से निर्मित “खिचड़ी” खिलाकर धन्यवाद ज्ञापित किया जाता है। यह त्यौहार तीन दिनों तक मनाया जाता है। जिसमें पहले दिन “धोरई” (चरवाहा) प्रत्येक घर के पशुओं के गले में स्वयं द्वारा लायी गयी रस्सी “जेठा” बांधता है। दूसरे दिन परिवार का मुखिया पशुओं की पूजा करता है तथा “खिचड़ी” खिलाता है। तीसरे दिन ग्राम के “गोठान” की पूजा के लिए ग्रामवासी एकत्र होते हैं तथा पूजा उपरांत मनोरंजक खेल खेलते

हैं। (हिन्दू दिपावली के गोवर्धन पूजा के दिन मनाते हैं। यह मूलतः गोंड जनजातीय त्यौहार न होकर हिन्दू त्यौहार है।)

6.2.8. दसहला / दशहरा

बस्तर के गोंड जनजातीय सदस्य भी बस्तर की रियासत कालीन देवी दंतेश्वरी के महापर्व को अन्य बस्तरवासीयों की तरह हर वर्ष धूमधाम से बनाते हैं। इस त्यौहार में अपने ग्रामों से देवी देवताओं के 'देवलाठ' व 'आंगापाटा' को लेकर बस्तर राजधानी—जगदलपुर में रथ परिक्रमा व लोकउत्सव में सम्मिलित होते हैं।

6.2.9. छेरतांग / छेरता / छेरछेरा

छेरता त्यौहार पूस माह की पूर्णिमा को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यह कृषि वर्ष की समाप्ति तथा नये कृषि वर्ष के प्रारंभ की खुशी का पर्व है, इन दिन "कमिया" (वार्षिक मजदूर) की कार्य की अवधि पूर्ण माना जाता है। गोंड जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर—घर जाकर "छेरछेरा" गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रुपये मांगते हैं। इसके बाद बकरा या मुर्गा की बलि देकर भोजन बनाते हैं और खुशियां मनाते हैं।

6.2.10. 'पूस कोलांग'

गोंड जनजाति सदस्य पूस कोलांग त्यौहार को पूस माह में मनाते हैं इस त्यौहार के दिन अपने आराध्य देवी देवताओं का पूजा अर्चना किया जाता है। इस दिन अधिक से अधिक संख्या में सदस्य उपस्थित रहते हैं।

6.2.11 पंहुचानी / पोंहचानी

गोंड जनजाति में यह एक विशेष पर्व है। लोक मान्यता अनुसार देवी को प्रसन्न करने हेतु रक्त अर्थात् पशुबली देने का विधान है इसी अवधारणा के अनुसार विपदा / प्रकोप से बचने देवी देवताओं के मंदिर 'गुड़ी' जाकर माता पंहुचानी का पर्व मनाया जाता है। इसे पहील गोहरानी (प्रथम गुहार लगाना) व पहील बोहरनी (प्रथम विदाई) के नाम से भी जानते हैं। इस त्यौहार में देवी देवताओं को धूप दीप व पशु बली देकर उनके नियत स्थान पर पूजा अर्चना करके प्रकोपो को विदा करते हैं।

6.2.12 'हुलकी'

गोंड जनजातीय सदस्य दीवापली के अवसर पर हुलकी उत्सव मनाते हैं इस त्यौहार में लड़के-लड़कीयों नृत्य करते हैं।

6.2.13 'रिलो'

गोंड जनजातीय सदस्य 'रिलो' को विशेष उत्सव के रूप में नृत्य- गान करते हैं। इसकी विशेषता है कि यह सिर्फ लड़कीयों द्वारा किया जाने वाला नृत्य गान है।

उपरोक्त त्यौहारों के अतिरिक्त गोंड जनजाति के सदस्य बाह्य समाजों से संपर्क के फलस्वरूप होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तीजा आदि त्यौहारों को भी मनाने लगे हैं।

6.3 आत्मा

गोंड जनजातीय धर्म का एक पक्ष आत्मा आधारित है अर्थात् गोंड आत्मा में विश्वास करते हैं। उनका विश्वास है कि आत्मा सदैव जीवित रहती है और अलग-अलग शरीर के माध्यम से उनका परिवार के सदस्य या अन्य रूपों में पुनर्जन्म होता है या वे "हानाडुमा" पितर आत्मा के रूप में अपने वंशजों की सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करती हैं।

गोंड परिवार में मृत्यु होने पर मृत व्यक्ति की आत्मा "हानाडुमा" को पूर्वजों की आत्मा से मिलाकर "डूमाघर" (पूजा कक्ष) में स्थापित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसी प्रकार परिवार में बच्चे के जन्म होने पर नामकरण के पूर्व उनके विधियों से उस बच्चे के पूर्व जन्म का नाम तथा पूर्वज को ज्ञात किया जाता है।

6.4 भूत-प्रेत

गोंड जनजाति में मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति की आकस्मिक, दुर्घटनावश, आयु पूर्ण होने से पूर्व मृत्यु हो जाते हैं या कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है या मृत्यु के स्थान पर वास करने लगता है। जो कोई भी उसके संपर्क में आता है आत्मा उसे तंग करता है। इसकी कारण गोंड समाज में इस प्रकार से मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार की अलग प्रक्रिया है, जिससे

यदि संभव हो तो आत्मा मुक्त हो जाये। गोंड सदस्य इस प्रकार की बुरी आत्माओं को भूत, प्रेत आदि नामों से जानते हैं।

भूत-प्रेत बाधा से ग्रसित व्यक्ति असामान्य हरकते करता हैं। गर्भवती व नवजात शिशु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, शरीर सूखने लगता है। ऐसी स्थिति में बचाव के लिए गोंड सदस्य “पुजारी”, “सिरहा” की शरण में जाते हैं। और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति को प्रभाव मुक्त करता है।

6.5 जादू-टोना

गोंड जनजाति क्षेत्र में जादू-टोना का प्रचलन है। जादू-टोना करने वाले व्यक्ति विभिन्न साधना के माध्यम से अति मानवीय शक्तियों को अपने नियंत्रण में कर विरोधियों के अहित करने का प्रयास करते हैं। जादू-टोना करने वाले पुरुष को “पंगनाहा” स्त्रियों को “पंगनिहीन” कहते हैं। “पंगनाहा” तथा “पंगनिहीन” अपने जादू के माध्यम से दूसरे को तंग करते हैं, जिससे वह प्रभावित हो जाता है। ऐसी स्थिति में प्रभाव मुक्त होने के लिए गोंड सदस्य “पुजारी”, “सिरहा”, “गुनिया” की शरण में जाते हैं और वह विभिन्न विधियों से व्यक्ति की सुरक्षा करता है।

6.6 विभिन्न सम्प्रदायों का प्रभाव

गोंड धार्मिक जीवन में अन्य समाजों से संपर्क का गहन प्रभाव दिखाई देता है। गोंड जनजाति के साथ ग्राम में ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठाकुर, कलार, राउत, माहरा, पनका, घसिया, लोहार आदि जातियों मुरिया, माडिया, धुरवा आदि जनजातियाँ निवास करने के कारण एक-दूसरे की देवी-देवता, त्यौहार विधि को अंगीकृत कर चुके हैं।

गोंड जनजाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, धाकड़, राउत आदि जातियों के साथ निवास करने के कारण हिन्दू देवी-देवता की पूजा, व्रत एवं त्यौहार मनाने लगे हैं। जिसके कारण धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है।

गोंड जनजाति के सदस्य कहीं-कहीं इसाई धर्म के प्रभाव में भी आते दिखते हैं।

अध्याय - सात लोक परम्परायें

गोंड जनजाति के लोक जीवन में (लोककथा), (लोक कहावत), (पहेली), (नृत्य—संगीत) का विशिष्ट स्थान है। गोंड सदस्य जीवन की क्रियाओं को सरल, सुगम एवं रुचिपूर्ण बनाने के लिए तथा मनोरंजन के उद्देश्य से लोककथा, लोक कहावत, पहेली, गीत—संगीत, नृत्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण अवसरों से पारंपरिक रूप से जुड़ा है। गोंड जनजाति के लोक परंपराओं का संक्षिप्त निम्नलिखित है—

7.1 कहनी—किस्सा (कहानी)

गोंड जनजाति में आपसी संवाद के दौरान कहावतों का प्रयोग करते हैं। आपसी बातचीत के दौरान 'कहावत' का गोंड जनजाति के सदस्य भरपूर उपयोग करते हैं। आपसी बातचीत में प्रयुक्त कुछ लोक कहावत निम्न हैं—

1. घरे नहीं रांधा, दुआरे भैंसा बांदा।
2. पर भरसा, न कर आसा।

7.2 "पहेली"

गोंड जनजाति में आपसी संवाद के दौरान कहावतों का प्रयोग करते हैं। आपसी बातचीत के दौरान 'पहेली' का प्रयोग करते हैं। संवाद के समय उपयोग में आने वाले 'पहेली' निम्न हैं—

1. खेकसी, कुंदरू, लेपसी मांडो, मांगे वाली ला कसन छाण्डो।
उत्तर—तंबाकू (धुंगिया)
2. पोलका गछे, नड़िया नाचे।
उत्तर—(लाई) मुरा
3. सान असन डोंगरी, दुई बाटे लेंगड़ी।
उत्तर—हाथी
4. इति गुड़—गुड़, बस्तर दुला।
उत्तर—बंदूक
5. इलगे रा रे तुर तुरी, मैं जाहू रतनपुरी।
उत्तर—पदचिन्ह (गोड़ के चिन्हा)

7.3 “गीत”

गोंड जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक जीवन से संबंधित गीत प्रचलित हैं, जिसमें से कुछ का वर्णन निम्नांकित है—

7.3.1 “बिहाव गीत”

गोंड जनजाति में विवाह के रस्मों से संबंधित गीत प्रचलित है, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है—

1. मोउर बांधनी गीत— (मुकुट बांधने का गीत)

गोंड जनजातीय महिलायें विवाह रस्म के दौरान वर—वधु को ‘मोउर’ (मुकुट) बांधते समय यह गीत को गाती है।

2. तेल चघानी गीत— (तेल चढ़ाने का गीत)

गोंड जनजातीय महिलायें विवाह रस्म के दौरान वर—वधु को तेल चढ़ाते समय यह गीत को गाती है।

3. “कोटीनी गीत” (सवाली गीत)

कोटीनी गीत विवाह में लगन के रस्म के दौरान पुरुष एवं स्त्रियों के मध्य प्रश्नोत्तर के रूप में गाया जाता है। कोटीनी गीत में परिहास के रूप में अपशब्द का भी प्रयोग होता है।

7.3.2 ‘रेला पाटा’ (रेला गीत)

गोंड जनजाति में विशेष त्योहार उत्सव के दौरान रेला पाटा (रेला गीत) गाया जाता है।

इस गीत के बोल का मुखड़ा है—

रे रे लोयो रे रेला, रे रे लोयो रे रेला।

रे—रेलो—रेलो, रे—रेलो—रे—रे रेला।।

उपरोक्त गीतों के अलावा परब गीत, डंडारी गीत, छेरछेरा गीत आदि गीत भी गाये जाते हैं।

7.4 “नाचा”(नृत्य)

गोंड जनजाति में डंडारी नृत्य, छेरछेरा नृत्य, विवाह नृत्य आदि अलग-अलग अवसरों पर मनोरंजन तथा परंपरा के रूप में किये जाते हैं जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

7.4.1 डंडारी नाचा

गोंड जनजाति में डंडारी नृत्य प्रतिवर्ष होली के समय अर्थात् फागुन मास में किया जाता है। डंडारी नृत्य में 20 से 30 नर्तक होते हैं, जो घेरा बनाकर गोल घुमते हुए नृत्य करते हैं, कुछ नर्तकों के हाथों में हिरण का सींग होता है, जिसे वे नृत्य के दौरान ऊपर की ओर उठाये रहते हैं। कुछ नर्तकों के हाथों में छोटे-छोटे डंडे “डंडार” होता है, जिसे वे नृत्य के दौरान विभिन्न प्रकार से बजाते रहते हैं। घेरे के भीतर कुछ वादक ढोल बजाते हैं। (अब गोंड जनजाति में डंडारी नाच का चलन कम हो चला है।)

7.4.2 छेरता नाचा

छेरछेरा नृत्य, छेरछेरा त्यौहार में किया जाता है। इसमें गोंड जनजाति के सदस्य समूह में गांव के घर-घर जाकर “छेरछेरा” गीत व नृत्य करते हुए अनाज तथा रुपये मांगते हैं। एक दो या अधिक सदस्य चेहरे पर रंगो को पोते हुए होते हैं या मुखौटा पहने होते हैं व कमर में घुंघरू बंधा रहता है। पीछे खड़े सदस्य छेरका गीत गाने से वह पात्र नाचता है।

7.4.3 गेड़ी नाचा

गेड़ी नृत्य गोंड आदिवासी का प्रमुख नृत्य में से है। इस नृत्य में बांस या लकड़ी से बने गेड़ी पर चढ़कर नृत्य किया जाता है, जिसे ‘डिटोम’(गेड़ी) कहा जाता है। इस नृत्य के साथ गीत नहीं गाया जाता है, यह सिर्फ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है। इस नृत्य से बहुत कुशलता पूर्वक गेड़ी पर अपने शरीर का संतुलन बनाकर करतब दिखाते हुये नृत्य करना होता है।

अध्याय - आठ

आर्थिक जीवन

गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले के पूरे उत्तरी क्षेत्र में निवासरत हैं। यह क्षेत्र मैदानी तथा वनयुक्त होने के कारण गोंड जनजाति के सदस्य बहु-स्तरीय आर्थिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। गोंड जनजाति के सदस्य कृषि मजदूरी, संकलन, मछली मारना, पशुपालन आदि कार्यों में संलग्न है। गोंड जनजाति अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपरोक्त साधनों पर निर्भर हैं। इनमें प्रचलित अर्थव्यवस्था का विवरण निम्नानुसार है:-

8.1 सम्पत्ति

गोंड जनजाति में आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साधनों को सम्पत्ति माना जाता है। सम्पत्ति स्वअर्जित एवं पूर्वजों से हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होती है। गोंड जनजाति में स्वामित्व के आधार पर सम्पत्ति को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

8.1.1 सामूहिक सम्पत्ति

ग्राम, मंदिर, तालाब, चारागाह आदि तथा ग्राम के भौगोलिक-राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नदी-नाले, वन, पहाड़ आदि समुदाय की सामूहिक सम्पत्ति माना जाता है।

8.1.2 पारिवारिक सम्पत्ति

परिवार के सदस्यों द्वारा परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्जित सम्पत्ति, पारिवारिक सम्पत्ति माना जाता है। इसमें पारिवारिक विभाजन से प्राप्त पैतृक सम्पत्ति भी शामिल है। इसके अंतर्गत मकान, पशु, भूमि, अनाज, बैलगाड़ी आदि आते हैं।

8.1.3 व्यक्तिगत सम्पत्ति

स्वयं के उपयोग हेतु अर्जित अथवा क्रय किया गया या स्वतः प्राप्त वस्तु सम्पत्ति व्यक्तिगत सम्पत्ति माना जाता है। इसमें कृषि उपकरण, शिकार के उपकरण, घड़ी, सायकल आदि शामिल है।

8.3 प्राथमिक एवं द्वितीयक व्यवसाय

गोंड जनजाति पितृ सत्तात्मक समाज होने के कारण सम्पत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्रों को होता है। गोंड जनजाति ज्येष्ठाधिकार की प्रथा है, जिसके अंतर्गत सबसे बड़े पुत्र को परिवार का भावी मुखिया होने एवं पारिवारिक, सामाजिक कार्यों के निर्वहन की जिम्मेदारी होने के कारण सम्पत्ति का कुछ या एक हिस्सा ज्यादा देते हैं। शेष सभी भाईयों को समान वितरण होता है। सम्पत्ति के विभाजन में यदि माता-पिता जीवित हो तो एक भाग देते हैं, जिसमें छोटा या बड़ा पुत्र कृषि करता है, माता-पिता की मृत्यु के पश्चात् यह हिस्सा सभी भाईयों में समान बांटा जाता है।

8.4 आर्थिक संरचना

गोंड जनजाति की आर्थिक संरचना मनुष्य एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का प्रतीक है, अर्थात् वनों में बसे गोंड ग्रामों की अर्थव्यवस्था प्रकृति पर आधारित है, वर्तमान में बाह्य सम्पर्क में वृद्धि के कारण नवीन आर्थिक स्रोतों का सृजन भी हुआ है। गोंड आर्थिक संगठन में लिंग-आयु आधारित श्रम विभाजन पाया जाता है तथा सम्पूर्ण परिवार उत्पादन की इकाई के रूप में कार्य करता है। गोंड जनजाति के आर्थिक संरचना का विवरण निम्न है—

8.4.1 कंदमूल एवं वनोपज संकलन

गोंड जनजाति में उपभोग एवं विक्रय हेतु कंदमूल एवं वनोपज संकलन किया जाता है। संकलन का कार्य सामूहिक रूप से किया जाता है। संकलन कार्य किशोर, युवा एवं वयस्क स्त्री-पुरुष द्वारा किया जाता है। संकलन कार्य सुबह 3-5 घण्टे किया जाता है। गोंड जनजाति के सदस्य नुआखानी त्यौहार के बाद ही जंगल से कंदमूल संकलन करते हैं। संकलन कार्य “टंगिया” (कुल्हाड़ी) “गपा” (टोकनी) “साबल” (सब्बल) की सहायता से किया जाता है। गोंड सदस्य वन से कंदमूल, फल-फूल, पत्ते, जड़ आदि का संकलन करते हैं। उपभोग हेतु किये जाने वाले संकलन का विवरण सारणी क्रमांक 6.1 में प्रदर्शित किया गया है—

सारणी क्र. 8.1 उपभोग हेतु संकलन का विवरण

क्र.	वनस्पति का भाग	वनस्पति का नाम
1	कंद-मूल	सोरोंदा कांदा, तरगिया कांदा, टोंडरी कांदा, कडु कांदा, पीता कांदा, चेर कांदा, सीका कांदा, करील (बास्ता) आदि।
2	भाजी	कोलियारी, पतरानी, फूललाटा, भेलवां भाजी, फूलभाजी, घिरी भा जी, चरोटा भाजी, आल भाजी, कोटनी भाजी, सिलयारी भाजी आदि।
3	फूल	गिरला फूल, महुआ फूल, वन्डगूल फूल।
4	फल	आम, इमली, टोरा, तेन्दू, भेलवां, चार, जामुन, आंवला, हर्षा, बेहड़ा कुसुम आदि।
5	मशरूम	बोड़ा, जात बोड़ा, फुटू -सरगी फुटू, बांस फुटू, टेगुर फु टू, कनकी फुटू आदि।

सारणी क्र. 8.2 उपयोग या विक्रय हेतु संकलन का विवरण

क्र	वनस्पति का भाग	उपयोग	पौधे/वृक्ष का नाम
1	छोटी शाखा	दातौन	साल, जामुन, करंज।
2	पत्ता	विक्रय पत्तल-दोना	साल, मोहलई, महुआ, तेन्दूपत्ता
3	फूल	मादक पेय/खाद्य	महुआ
4	फल व बीज	तेल, विक्रय एवं औषधीय	तेन्दू, आम, जामुन, इमली, आंवला, चार, टोरा, करंजी, कुसुम।
5	छाल व जड़	रस्सी	सियाड़ी, बगई, सीसल
6	स्त्रावित द्रव्य	गोंद एवं धूप	धवड़ा, साजा, बेहड़ा, कुल्लू चार।
7	पौधा	झाड़ू	फूल बाड़नी, झिटका दाब, खरला कांटा, सोम बाड़नी, टिया बाड़नी।
8	तना	वस्तु जलाऊ व गृह निर्माण	साल, साजा, धवड़ा, फरसा, बांस आदि।

गोंड जनजाति के सदस्य लगभग पूरे वर्ष संकलन का कार्य सहायक आर्थिक क्रिया के रूप में करते हैं, उपभोग हेतु संकलन मुख्यतः जुलाई-अगस्त से जनवरी-फरवरी तक तथा उपयोग या विक्रय हेतु संकलन वर्ष की शेष अवधि में किया जाता है।

8.4.2 पारद (शिकार)

गोंड जनजाति के आर्थिक संरचना में शिकार एक महत्वपूर्ण भाग है। शिकार मांस प्राप्ति के साथ-साथ बहादुरी एवं सामूहिकता का परिचायक है। शिकार संकलन के साथ, “पारद” या वार्षिक सामूहिक शिकार तथा खाली समय में किया जाता है। वर्तमान में शिकार पर शासकीय प्रतिबंध होने के कारण अल्प प्रचलित है। शिकार हेतु तीर-धनुश, गुलेल, “टंगिया” (कुल्हाड़ी), “तब्बल” (फरसा) एवं अनके प्रकार के जाल आदि हथियारों का प्रयोग किया जाता है। गोंड जनजाति में शिकार में व्यक्तियों की संलग्नता के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है।

अ. एकल शिकार

गोंड जनजाति के सदस्य संकलन के साथ एकल शिकार करते हैं। वे “खरहा” (खरगोश) पंडकी, लावा (बटेर) आदि पशु-पक्षियों का शिकार करते हैं। यह शिकार फसल कटने अर्थात् शीत ऋतु के प्रारंभ से गर्मियों तक किया जाता है। अपने अनुभव के आधार पर गोंड सदस्य पशु-पक्षियों की अधिकता या पदचिन्हों के आधार पर उनके जाने का मार्ग ज्ञात कर लेते हैं एवं उनका शिकार करते हैं। एकल शिकार हेतु “गुलेर” (गुलेल) धनुकाण्ड (तीर-धनुश), “टंगिया” (कुल्हाड़ी) तथा अनेक प्रकार के “जाल” (जालों) का प्रयोग करते हैं।

ब. सामूहिक शिकार

गोंड जनजाति के सदस्य गर्मियों में “पारद” या वार्षिक सामूहिक शिकार करते हैं। इसमें ग्राम के सभी युवा पुरुष सदस्य शामिल होते हैं। इसमें जानवर को भगा-भगाकर शिकार करते हैं। इसमें एक दिशा के सदस्य पशुओं को भगाकर लाते हैं तथा दूसरे समूह के सदस्य शिकार करते हैं। वर्तमान में सामूहिक शिकार पर प्रतिबंध होने से सिर्फ परम्परा का निर्वहन हेतु बीज पूरनी त्यौहार के दिन प्रतिकात्मक तौर से जारी है।

8.4.3 मत्स्य आखेट

गोंड जनजाति के स्त्री-पुरुष वर्षा एवं शीत ऋतु में नदी-नाला, तालाब तथा खेत में एकल या सामूहिक रूप से मछली मारने का कार्य करते हैं। मछली मारने का

कार्य उपभोग हेतु किया जाता है। मछली मारने का कार्य दोपहर या शाम को किया जाता है। मछली मारने के लिए गरी-लाट, पेलना, खूटन, जाल आदि का प्रयोग करते हैं। महिलायें “छिछाई” विधि से गड्ढे या डबरा से पानी फेंककर मछली पकड़ती है। सामूहिक रूप में प्राप्त मछली का समान वितरण किया जाता है, किन्तु मछली जाल के स्वामी को एक भाग अतिरिक्त दिया जाता है। गोंड सदस्य टेंगना, मोंगरी, खोकसी, बाम्बी आदि मछलियों के साथ-साथ केकड़ा, कछुआ आदि जलीय जीव का शिकार करते हैं।

8.4.4 कृषि

कृषि गोंड आर्थिक संरचना का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। कृषि परिवार या व्यक्ति द्वारा किया जाता है। गोंड अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। गोंड सदस्यों द्वारा घर के समीप बाड़ी में, खेतों में तथा मरहान में अनाज, दाले, तथा सब्जियों का उत्पादन करते हैं। गोंड जनजाति की कृषि मानसूनी वर्षा पर आधारित है। गोंड सदस्य पूर्व में “पेंदा” या स्नानांतरित कृषि करते थे। वर्तमान में पूर्णतः स्थायी कृषि करते हैं। गोंड जनजाति की कृषि पद्धति का विवरण निम्नांकित है –

अ. भूमि

गोंड परिवार में भूमि का स्वामित्व-स्वर्जित या पैतृक सम्पत्ति के विभाजन से प्राप्त है। गोंड निवास क्षेत्र में रेतीली लाल मिट्टी की अधिकता है। सर्वेक्षित परिवारों में उपरोक्त भूमि की धारिता को सारणी क्रमांक 8.3 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र. 8.3 गोंड परिवारों में भूमि धारिता

क्रं.	भूमि धारिता	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	भूमिधारी	168	84
2	भूमिहीन	32	16
	योग	200	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि 84.00 प्रतिशत गोंड परिवारों में कृषि भूमि है, जबकि 16.00 प्रतिशत परिवार भूमिहीन है।

गोंड जनजाति में भूमि धारकों की प्रतिशत अधिक है, किन्तु ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्रों में भूमि का असमान वितरण किया जाता है। उत्पादन में भिन्नता दिखाई देने का एक मुख्य कारण असमान कृषि भूमि का वितरण है। सर्वेक्षित परिवारों में भूमि धारिता का विवरण सारणी क्र. 8.4 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र. 8.4 गोंड परिवारों में कृषि भूमि का वितरण

क्रं.	भूमि क्षेत्र (एकड़ में)	परिवार		कुल भूमि (एकड़ में)	भूमि/परिवार (एकड़ में)
		संख्या	प्रतिशत		
1	भूमिहीन	32	16	-	-
2	3 एकड़ तक	122	61	225.20	1.85
3	3-5	24	12	95.30	3.97
4	5 से अधिक	22	11	202.00	9.18
	योग	200	100	522.50	2.61

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट होता है कि सर्वेक्षित गोंड परिवारों में सर्वाधिक 61.00 प्रतिशत परिवारों में 0-3 एकड़ तक तथा न्यूनतम 11.00 प्रतिशत परिवारों में 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इस प्रकार सर्वेक्षित परिवारों में कुल 522.50 एकड़ भूमि पाया गया अर्थात् प्रति परिवार भूमि धारिता 2.61 एकड़ पाया गया। इस प्रकार कुल 16 प्रतिशत (32 परिवार) जनसंख्या भूमिहीन है जबकि शेष 168 परिवारों में भूमि है। 0 से 3 एकड़ भूमिधारी 122 परिवारों के पास औसतन 1.85 एकड़ भूमि है। 3 से 5 एकड़ भूमिधारी 24 परिवारों के पास औसतन 3.97 एकड़ भूमि है। 5 एकड़ से अधिक—भूमिधारी 22 परिवारों के पास औसतन 9.18 एकड़ भूमि है।

8.4.5 फसल

गोंड जनजाति अनाज, दालें व सब्जियों का उत्पादन कर अपनी दैनिक वार्षिक खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। गोंड परिवार अपनी आवश्यकता मौसम एवं भूमि के अनुसार एक निश्चित फसल चक्र का पालन करते हैं।

धान, गोंड जनजाति का मुख्य उपज है, धान की पैदावार मानसूनी वर्षा पर निर्भर है। फसल कटने के पश्चात् गीले खेत की जुताई करके छोड़ देते हैं। इसके पश्चात् बैसाख माह से खेत की मरम्मत, मेड़ बनाने एवं जुताई का कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके पश्चात् उत्पादन वृद्धि के लिए गोबर खाद डालने डालते हैं, पूर्व में खाद के लिए वन से सूखी पत्तियां या वृक्ष की शाखायें लाकर खेत में जला देते थे एवं राख को पूरे खेत में बिखेर देते थे। गोंड कृषकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग किया जाता है। अर्थात् परम्परागत हल-बैल, खाद विधि से ही कृषि किया जाता है। गोंड सदस्यों द्वारा कृषि भूमि के आधार पर प्रयुक्त धन की देशी किस्मों का विवरण सारणी क्रमांक 8.5 दर्शाया गया है :—

सारणी क्र. 8.5 कृषि भूमि अनुसार प्रयुक्त धान की किस्म का वितरण

क्र	कृषि भूमि	धान की देशी किस्में
1	गभार/धार	सफरी, गुरमुटिया, गाड़ा खूंटा, बासनी मुड़ी, बयकाना बांउस-बस, आदि।
2	खारी	सफरी आई.आर. -64, बमलेश्वरी, हजारी आदि।
3	टिकरा	पारा धान, माटी धान आदि।
4	मरहान	मेहर माटी धान, घोटिया धान आदि।
5	मटासी	भरीधान आदि।

गोंड जनजाति के सदस्य धान के साथ-साथ मक्का, मंडिया, कोसरा, सरसों, उड़द, राहर, कुल्थी, तिल आदि फसल उत्पादित करते हैं। जिसके उत्पादन में गोंड जनजाति के कृषक मई-जून से दिसम्बर-जनवरी तक लगभग आठ माह संलग्न रहते हैं।

8.4.6 पशुपालन

पशुपालन गोंड जनजाति की सहायक आर्थिक क्रिया है। पशुपालन का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्य, मांस, धार्मिक कार्य एवं आर्थिक लाभ है। गोंड परिवारों में गाय, बैल, बकरा-बकरी, भैंस, भैंसा मुर्गी-मुर्गा, बतख आदि पशुओं का पालन किया जाता है।

8.4.7 मजदूरी

गोंड जनजाति के सदस्य वन आधारित आर्थिक स्रोतों की कमी होने के कारण कृषि, निर्माण आदि क्षेत्रों में मजदूरी करने लगे हैं। शासकीय मजदूरी कार्य में शासकीय दर से मजदूरी प्राप्त होती है। गोंड जनजाति ग्रामों में कृषि मजदूरी के निम्न स्वरूप दिखाई देते हैं।

अ. दैनिक मजदूरी

गोंड सदस्य खेत की मरम्मत, निंदाई, कटाई, मिंजाई आदि कार्य में दैनिक मजदूरी पर जाते हैं। दैनिक मजदूरी में स्त्री-पुरुष दोनों कार्य करते हैं। लेकिन मजदूरी दर में लिंगाधारित भिन्नता पाया जाता है, अर्थात् पुरुषों को 80-100 रुपये एवं स्त्रियों को 50-60 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है। दैनिक कृषि मजदूरी कार्य वर्ष में 30-60 दिन उपलब्ध होता है।

ब. शासकीय मजदूरी

गोंड सदस्य स्थानीय ग्राम पंचायत, निर्माण कार्य तथा वन विभाग में मजदूरी कार्य करते हैं। जिसमें शासकीय दरों पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इन्हे वर्ष में लगभग 30-100 दिनों तक शासकीय मजदूरी कार्य उपलब्ध होता है।

स. "कमिया" (वार्षिक मजदूरी)

गोंड जनजाति में वार्षिक मजदूरी को "कमिया" कहते हैं। "कमिया" अर्थात् वार्षिक मजदूर 10 माह अर्थात् जेठ-आषाढ़ से माघ-फागुन तक रखते हैं। इसमें वार्षिक मजदूरी दर 50-70 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं। नियम व शर्त तय होने के उपरांत "कमिया" भूमि स्वामी के घर कार्य करने लगता है उसे कृषि व घर का कार्य करना पड़ता है। "कुड़ही खाया कमिया" दिन में रहता है। इसमें वार्षिक मजदूरी दर 30-40 खंडी धान, एक पहर का भोजन, कपड़ा तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं हैं। "कमिया" आवश्यकतानुसार अग्रिम ले सकता है। जिसे अंतिम भुगतान में से घटा दिया जाता है। यदि "कमिया" तय अवधि के मध्य में काम छोड़ देता है तो किये गये कार्य अवधि का पारिश्रमिक देते हैं।

8.4.8 नौकरी

गोंड जनजातीय कुछ सदस्य शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् शिक्षक, शिक्षाकर्मी, बाबू, लिपिक, वनपाल, नाकेधार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भृत्य आदि पदों पर नौकरी करने लगे हैं। नौकरी के कारण गोंड परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

8.4.9 अन्य स्रोत

गोंड जनजाति के सदस्य स्व सहायता समूह, सरकारी समिति, व्यवसाय, ठेकेदारी आदि कार्यों के द्वारा भी आय प्राप्त कर रहे हैं। गोंड जनजाति के अनेक परिवार के वृद्ध सदस्यों को पेंशन भी प्राप्त हो रहा है। यह गोंड परिवारों के परम्परागत आर्थिक स्रोतों के अतिरिक्त अन्य आय स्रोत है, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति में सहयोग प्राप्त होता है।

8.6 वार्षिक आय—व्यय

अ. समस्त स्रोतों से वार्षिक आय

सर्वेक्षित गोंड परिवारों को समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को सारणी क्रमांक 8.6 में दर्शाया गया है।

सारणी क्र—8.6 समस्त स्रोतों से वार्षिक आय का विवरण

क्रं.	आय वर्ग (रूपये में)	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	10000 से कम	6	3.00
2	10000—20000	96	48.00
3	20000—30000	62	31.00
4	30000—40000	14	7.00
5	40000—50000	14	7.00
6	50000 से अधिक	8	4.00
	योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि समस्त स्त्रोतों से सर्वाधिक 48.00 प्रतिशत परिवारों को 10000-20000 रुपये के मध्य वार्षिक आय पाया गया, जबकि न्यूनतम 4.00 प्रतिशत परिवारों को 50000 से अधिक रुपये वार्षिक आय प्राप्त हुआ।

ब. वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

सर्वेक्षित गोंड परिवारों के प्राप्त वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों अंशधारिता को सारणी क्र 8.7 में दर्शाया गया है —

सारणी क्र-8.7 वार्षिक आय में विभिन्न स्त्रोतों की अंशधारिता

क्रं.	आर्थिक स्थिति	रुपए में	प्रतिशत
1	वनोपज	971865	21.27
2	पशुपालन	360780	7.90
3	कृषि	1926644	42.17
4	मजदूरी	558030	12.21
5	नौकरी	534160	11.69
6	पेंशन	108200	2.37
7	अन्य	108932	2.38
	योग	4568611	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों के वार्षिक आय में सर्वाधिक 42.17 प्रतिशत आय कृषि से, न्यूनतम 2.37 प्रतिशत आय पेंशन से। शासकीय तथा अन्य मजदूरी से 12.21 प्रतिशत, नौकरी से 11.69 प्रतिशत, 21.27 प्रतिशत वनोपज से, अन्य साधनों से 2.38 प्रतिशत तथा पशुधन से 7.90 प्रतिशत आय प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त आय के आधार पर प्रति परिवार वार्षिक आय 22843.06 रुपये तथा प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 4452.83 रुपये है।

8.4.10 ऋणग्रस्तता

गोंड जनजाति में पारिवारिक, कृषि, स्वास्थ्य, भूमि, पशु क्रय कार्यों के लिए ऋण लेते हैं। ऋण के रूप में गोंड परिवार धन, वस्तु, सामग्री तथा अनाज लेते हैं। यह ऋण संबंधियों, साहूकार, सहकारी संस्थाओं तथा बैंक से लेते हैं। सर्वेक्षित गोंड

परिवारों में ऋण की स्थिति निम्नांकित है—

अ. ऋण की स्थिति

सर्वेक्षित गोंड जनजातीय परिवारों में ऋण की स्थिति को सारणी क्रमांक— 8.8 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र—8.8 ऋण की स्थिति

क्रं.	ऋण की स्थिति	परिवार	
		संख्या	प्रतिशत
1	हां	53	26.50
2	नहीं	147	73.50
	योग	200	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि कुल सर्वेक्षित 200 परिवारों में से 26.50 प्रतिशत (53) परिवारों ने ऋण लिया है जबकि 73.50 प्रतिशत (147) परिवारों ने ऋण नहीं लिया।

ब. ऋण का उद्देश्य

सर्वेक्षित गोंड जनजातीय परिवारों में ऋण का उद्देश्य को सारणी क्रमांक— 8.9 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र—8.9 ऋण का उद्देश्य

क्रं.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1	घरेलु / पारिवारिक कार्य	13	24.53
2	कृषि कार्य	36	67.92
3	ट्रेक्टर क्रय	1	1.89
4	अन्य कार्य	3	5.66
	योग	53	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 67.92 प्रतिशत परिवारों ने कृषि कार्य हेतु तथा न्यूनतम 1.89 प्रतिशत ने ट्रेक्टर क्रय हेतु ऋण लिया है। 24.53 प्रतिशत परिवारों ने घरेलु / पारिवारिक कार्य हेतु तथा 5.66 प्रतिशत परिवारों ने अन्य कार्य हेतु ऋण लिया है।

ब. ऋण की राशि

सर्वेक्षित गोंड जनजातीय परिवारों में ऋण की राशि को सारणी क्रमांक—8.10 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.10 ऋण की राशि

क्रं.	राशि	संख्या	प्रतिशत
1	10000 से कम	49	92.45
2	10000 से 20000	2	3.77
3	20000 से 30000	1	1.89
4	40000 से अधिक	1	1.89
	योग	53	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वाधिक 92.45 प्रतिशत (49) परिवारों ने 10000रु से कम की राशि ऋण लिया है। 3.77 प्रतिशत परिवारों ने 10000 से 20000 रु, 1.89 प्रतिशत परिवारों ने 20000 से 30000 रु तथा 1.89 प्रतिशत परिवारों ने 40000 रु से अधिक ऋण लिया है।

स. ऋण का स्रोत

सर्वेक्षित गोंड जनजातीय परिवारों में ऋण का स्रोत को सारणी क्रमांक 8.11 में दर्शाया गया है—

सारणी क्र-8.11 ऋण का स्रोत

क्रं.	स्रोत	संख्या	प्रतिशत
1	रिश्तेदार	1	1.89
2	सहकारी बैंक/लैम्प्स	40	75.47
3	साहूकार	12	22.64
	योग	53	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में से सर्वाधिक 75.47 प्रतिशत परिवारों ने सहकारी बैंक/लैम्प्स से तथा न्यूनतम 01.89 प्रतिशत परिवारों ने साहूकार से ऋण लिया है। गोंड परिवार सहकारी बैंक से कृषि कार्य हेतु “किसान क्रेडिट कार्ड” अंतर्गत कृषि ऋण प्राप्त करते हैं तथा फसल के उपरांत ऋण चुका देते हैं।

अध्याय - नौ शैक्षणिक स्थिति

शिक्षा आदिकाल से ही मानव समाज के विकास का आधार रहा है, इसलिए शिक्षा को विकास का रीढ़ कहा गया है। आदिवासी समाज में पराम्परागत रूप से अनौपचारिक शिक्षा, परिवार, समुदाय द्वारा दी जाती है, जिसका उद्देश्य समाज हेतु योग्य व्यक्तित्व का विकास करना रहा है। जबकि भारत की स्वतंत्रता पश्चात् आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने हेतु उनके विकास हेतु शैक्षणिक विकास को मुख्य आधार मानकर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षणिक विकास का प्रयास जारी है, जिससे आदिवासी समाज की शैक्षणिक स्थिति में विकास हो रहा है।

सर्वेक्षित जनजातीय गोंड परिवारों में शैक्षणिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है—

9.1 साक्षरता

सारणी क्रमांक—9.1 साक्षरता की स्थिति

क्रं.	स्थिति	पुरुष संख्या	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	0—5	34	6.73	41	7.87	75	7.31
2	शिक्षित	332	65.74	283	54.32	615	59.94
3	अशिक्षित	139	27.52	197	37.81	336	32.75
	योग	505	100.00	521	100.00	1026	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में साक्षरता दर 59.94 प्रतिशत तथा 32.75 प्रतिशत सदस्य निरक्षर हैं। पुरुषों में 65.74 प्रतिशत साक्षर तथा 27.52 प्रतिशत निरक्षर पाये गये जबकि स्त्रियों में 54.32 प्रतिशत साक्षर तथा 37.81 प्रतिशत सदस्य निरक्षर पाये गये। सारणी से यह भी स्पष्ट है कि स्त्री साक्षरता दर की तुलना में पुरुषों की साक्षरता दर में कम अंतर है।

9.2 शैक्षणिक स्थिति

गोंड जनजातीय परिवारों में शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन के साक्षर सदस्यों की स्थिति का समग्र आंकलन किया जा सकता है, जिसे सारणी क्रमांक—9.2 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक-9.2 शैक्षणिक स्थिति

क्र.	स्थिति	पुरुष		स्त्री		योग	
		संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	0-5	34	6.73	41	7.87	75	7.31
2	अध्ययन जारी	181	35.84	166	31.86	347	33.82
3	अध्ययन समाप्त	151	29.90	117	22.46	268	26.12
4	निरक्षर	139	27.52	197	37.81	336	32.75
योग		505	100.00	521	100.00	1026	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित 200 परिवारों में 33.82 प्रतिशत सदस्यों का अध्ययन जारी है तथा 26.12 प्रतिशत सदस्य सुविधा के अभाव, अनुत्तीर्ण होने, अरुचि, पारिवारिक आदि कारणों से अध्ययन छोड़ चुके हैं। सारणी से यह भी स्पष्ट होता है कि 35.84 प्रतिशत पुरुषों की शिक्षा जारी है तथा 29.90 प्रतिशत शिक्षा छोड़ चुके हैं। स्त्रियों में 31.86 प्रतिशत स्त्रियां शालागामी है तथा 22.46 स्त्रियां शिक्षा छोड़ चुकी हैं। उपरोक्त तालिका में 0-05 वर्ष के बालक-बालिकाओं को अलग वर्ग में रखा गया है जो 7.31 प्रतिशत हैं।

9.3 शिक्षा का स्तर

गोंड जनजातीय परिवारों में साक्षर सदस्यों का शैक्षणिक स्तर तथा अध्ययन के जारी व समाप्त के आधार पर विवरण सारणी क्र. 9.3 में दर्शाया गया है-

सारणी क्रमांक-9.3 शैक्षणिक स्तर अनुसार शिक्षा की स्थिति का विवरण

क्र.	व्यवसाय	पुरुष						महिला						कुल योग			
		जारी	%	समाप्त	%	योग	%	जारी	%	समाप्त	%	योग	%	पुरुष	महिला	योग	%
1	प्राथमिक	87	48.1	112	74	199	59.9	85	51	81	69	166	59	199	166	365	59
2	माध्यमिक	60	33.2	29	19	89	26.8	56	34	22	19	78	28	89	78	167	27
3	हाई स्कूल	23	12.7	07	4.6	30	9.04	16	9.6	06	5.1	22	7.8	30	22	52	8.5
4	हायर सेण्डरी	10	5.52	02	1.3	12	3.61	08	4.8	07	06	15	5.3	12	15	27	4.4
5	कॉलेज	01	0.55	01	0.7	02	0.6	01	0.6	01	0.9	02	0.7	02	02	04	0.7
	योग	181	100	151	100	332	100	166	100	117	100	283	100	332	283	615	100

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सर्वेक्षित परिवारों में सर्वाधिक 59.35 प्रतिशत सदस्य प्राथमिक तक शिक्षित हैं तथा न्यूनतम 0.65 प्रतिशत सदस्य स्नातकोत्तर तक शिक्षित हैं। पुरुषों व महिलाओं में एक-एक तक सदस्य स्नातकोत्तर तक उच्च शिक्षित हैं। पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में स्त्रियों की शिक्षा में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है।

9.4 उम्र लिंग अनुसार साक्षरता का विवरण

गोंड जनजातीय परिवारों में उम्र लिंग अनुसार साक्षरता का विवरण को सारणी क्र. 9.4 में दर्शाया गया है—

सारणी क्रमांक-9.4 उम्र लिंग अनुसार साक्षरता का विवरण

क्रं.	स्थिति	पुरुष संख्या	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	योग	प्रतिशत
1	0-5	34	10.18	41	14.49	75	12.16
2	6-14	138	41.32	151	53.36	289	46.84
3	15-18	87	26.05	32	11.31	119	19.29
4	19-21	22	6.59	13	4.59	35	5.67
5	21 से अधिक	53	15.87	46	16.25	99	16.05
	योग	334	100.00	283	100.00	617	100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उम्र लिंग अनुसार साक्षरता का विवरण—सर्वेक्षित गोंड जनजाति में सर्वाधिक 46.84 प्रतिशत 6-14 वर्ष के हैं, जिसमें पुरुष 41.32 प्रतिशत तथा स्त्री 53.36 प्रतिशत हैं। सर्वेक्षित परिवारों में न्यूनतम 5.67 प्रतिशत 19- 21 वर्ग के हैं। 16.05 प्रतिशत 21 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं जबकि 19.29 प्रतिशत 15-18 वर्ग के हैं।

सर्वेक्षित कुल गोंड परिवार में से 0-5 आयु वर्ग के कुल 12.16 प्रतिशत सदस्य को शैक्षणिक वर्ग से भिन्न रखा गया है।

अध्याय - दस

परिवर्तन एवं समस्याएं

गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के समीप होने के कारण उनमें शिक्षा, संचार, आवागमन, बाह्य संपर्क तथा नवीन तकनीकों का प्रसार तेजी से हो रहा है। जिससे गोंड जनजाति के जीवन-शैली, रहन-सहन में परिवर्तन हो रहा है। इन नवीन आयामों के कारण प्राचीन रीति-रिवाज, परम्पराओं एवं शैतिक संस्कृति में बदलाव आने लगा है। गोंड जनजाति के जीवन में परिवर्तन को निम्न बिन्दुओं में दर्शाया गया है—

10.1 परिवर्तन —

10.1.1 भौतिक संस्कृति में परिवर्तन

i. ग्राम —

गोंड ग्रामों में अधोसंरचनात्मक परिवर्तन हुआ है। ग्राम में सीमेंट, सड़कें, नालियाँ, स्कूल भवन, हैण्डपंप, पाईप लाईन द्वारा पेयजल, स्वास्थ्य केन्द्र, राशन दुकान, पक्के सामुदायिक भवन आदि का सुव्यवस्थित विकास होने से गोंड ग्राम की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

ii. आवास—

गोंड ग्रामों में परंपरागत आवास के स्थान पर नवीन शैली के अर्ध पक्के तथा पक्के आवास का निर्माण होने लगा है। आवास निर्माण हेतु पक्की ईंट, सीमेंट, सीमेंट या स्टील की शीट, रेत, बड़ी खिडकियों का उपयोग करने लगे हैं। कुछ गोंड घरों में शौचालयों, पक्के फर्श तथा प्रकाश हेतु विद्युत व्यवस्था भी करने लगे हैं। घरों की पुताई हेतु चूने के साथ रंग, डिस्टेम्पर, पेंट का प्रयोग भी करने लगे हैं।

iii. दैनिक उपयोगी वस्तुएं —

गोंड परिवारों में आधुनिक दैनिक उपयोगी वस्तुओं का समावेश होने लगा है। गोंड सदस्य शीतकाल में—ऊनी कपड़े, जैकेट, शॉल। ग्रीष्मकाल में— टोपी, गमछा, धूप चश्मा तथा वर्षाकाल में छाता, रैनकोट, जूते चप्पल आदि का उपयोग करने लगे

हैं। घर में प्लास्टिक की चटाई, प्लास्टिक कुर्सियाँ, दीवाल घड़ी, रेडियो, टी.वी., डिस्क, मोबाईल, पंखा आदि का उपयोग गोंड जनजाति की दैनिक उपयोगी वस्तुओं में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है।

iv. रसोई की वस्तुएं—

गोंड जनजाति के रसोई में भोजन बनाने हेतु मिट्टी के बर्तनों तथा भोजन करने के लिए दोना-पत्तल का उपयोग किया जाता था। वर्तमान में गोंड जनजाति के पूर्वोक्त वस्तुओं के साथ-साथ एल्युमिनियम, स्टील, पीतल, कांसा के बर्तनों का उपयोग भी करने लगे हैं।

v. वस्त्र विन्यास एवं साज-श्रृंगार—

गोंड जनजाति के सदस्य शारीरिक स्वच्छता में दांतों की सफाई हेतु दातौन के स्थान पर टूथ-ब्रश व मंजन/पेस्ट, स्नान हेतु साबुन, कपड़े धोने हेतु साबुन या वाशिंग पावडर, तथा बाल नाई से कटाने लगे हैं। वे स्नान के पश्चात् श्रृंगार हेतु सुगंधित तेल, पॉवडर बिंदिया, फीता, क्लीप का उपयोग करते हैं। गोंड जनजाति के स्त्री-पुरुष वस्त्रों में जींस, टी-शर्ट, पैजामा कुर्ता, बरमुड़ा, सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि का उपयोग करने लगे हैं।

vi. आर्थिक कार्यों से संबंधित वस्तुएं—

गोंड जनजाति के सदस्य कृषि हेतु हल-बैल के साथ-साथ ट्रैक्टर, उड़ावनी पंखा, डीजल पम्प, आधुनिक कीटनाशक तथा कीटनाशक यंत्र का उपयोग करने लगे हैं। शिकार तथा मछली मारने का कार्य कम होने के कारण इनसे संबंधित भौतिक वस्तुओं की संख्या में कमी आयी है।

vii. आवागमन के साधन—

गोंड जनजाति के सदस्य सायकल, मोटर सायकल, ट्रैक्टर, बस, जीप, कार आदि का उपयोग आवागमन तथा परिवहन के साधन के रूप में करने लगे हैं।

10.1.2 जीवन संस्कार में परिवर्तन—

I. प्रसव कार्य—गोंड जनजाति में प्रसव कार्य पारंपरिक दाई के द्वारा घरों में किया जाता था। किन्तु वर्तमान में प्रशिक्षित दाई, मितानिन या नर्स की देखभाल में प्रसव

कराया जाता है। संस्थागत प्रसव पर मिलने वाले आर्थिक लाभ के कारण अस्पताल में होने वाले प्रसव की संख्या में वृद्धि हुई है।

II. नामकरण—नवजात बच्चों के नामकरण में आधुनिकता का प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा है।

III. पोषण व टीकाकरण—वर्तमान में आंगनबाड़ी तथा स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार के कारण गोंड जनजाति के माता व शिशु के पोषण, टीकाकरण की स्थिति में सुधार हो रहा है।

IV. विवाह आयु—पूर्व में गोंड समाज में अल्पायु में विवाह की प्रथा थी, वर्तमान में विवाह आयु में वृद्धि हुई है।

V. वैवाहिक कार्यक्रम—पूर्व में गोंड समाज में वैवाहिक कार्यक्रम पांच से सात दिनों का होता था किन्तु खर्च की अधिकता एवं समयाभाव के कारण वर्तमान में विवाह कार्य तीन दिनों में सम्पन्न होने लगे हैं। इसी प्रकार सहमति विवाह में विवाह पूर्व दस से बारह “माहला” (सगाई) का रिवाज था जिसे तीन दिन में “माहला” (सगाई) में परिवर्तित कर दिया गया है।

VI. उपहार का स्वरूप—गोंड समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में दिये जाने वाले “टिकान” (उपहार) के स्वरूप में परिवर्तन आया है। वर्तमान में गोंड समाज में जन्म तथा विवाह संस्कार में आधुनिक भौतिक वस्तुएं उपहार में देने लगे हैं।

VII. गीत—संगीत—गोंड जनजातीय समाज के सदस्य जन्म एवं विवाह संस्कार में पारम्परिक गीत—संगीत के साथ आधुनिक गीत—संगीत, वाद्य यंत्रों, लाउड स्पीकर का उपयोग करने लगे हैं।

10.1.3 सामाजिक जीवन में परिवर्तन—

I. संयुक्त परिवार का विघटन—गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को आदर्श माना जाता है किन्तु वर्तमान में आपसी तालमेल व सामंजस्य के अभाव में संयुक्त परिवार विघटित होकर एकल परिवार का स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

II. पारिवारिक निर्णय—पूर्व में गोंड परिवारों में मुखिया पारिवारिक मामलों में निर्णय

लेने को स्वतंत्र था किन्तु वर्तमान में पारिवारिक निर्णय आपसी सहमति के आधार पर होने लगे हैं।

III. नियमों में परिवर्तन—अन्तराजातीय सम्पर्क बढ़ने से गोंड जनजाति में यात्रा, निवास, खान-पान संबंधी नियमों में परिवर्तन आया है।

10.1.4 आर्थिक जीवन में परिवर्तन—

I. अर्थव्यवस्था में परिवर्तन—

गोंड जनजाति की अर्थव्यवस्था में शिकार, मछली मारने का कार्य सीमित होने लगा है तथा गैर शासकीय एवं शासकीय मजदूरी, व्यवसाय तथा शासकीय सेवा के रूप में नये आर्थिक कार्यों का सृजन हुआ है।

II. कृषि में नवीन तकनीकों का समावेश—

कृषि क्षेत्र में परम्परागत कृषि के साथ-साथ नवीन तकनीकों जैसे— उर्वरक, कीटनाशक, उड़ावनी पंखा, सिंचाई, ट्रैक्टर आदि तकनीकों का समावेश हुआ है जिससे फसल उत्पादन एवं आय में वृद्धि हुई है।

III. फसल उत्पादन—

गोंड जनजाति के अनेक परिवारों में द्वितीय फसल या सब्जियों का उत्पादन व विक्रय भी करने लगे हैं। जिससे गोंड परिवार की आय में वृद्धि हुई है।

IV. संस्थागत ऋण—

गोंड जनजाति में कृषि, व्यवसाय, वाहन क्रय आदि पारिवारिक आवश्यकता हेतु संस्थागत ऋण में बढ़ोत्तरी हुई है।

10.1.5 राजनीतिकजीवन में परिवर्तन

गोंड जनजाति के परम्परागत जनजाति पंचायत का प्रभाव सीमित हो गया है। वर्तमान में परम्परागत पंचायत विवाह संबंधी तथा कुछ विशेष मामलों का ही निपटारा करती है। परम्परागत जनजाति पंचायत में स्त्रियों की भूमिका तथा प्रतिनिधित्व नहीं था किन्तु वर्तमान में समाज द्वारा गठित राजनैतिक संगठन में स्त्रियों को स्थान दिया गया है तथा आधुनिक पंचायत में स्त्रियाँ विभिन्न पदों पर आसीन हैं तथा सभा में भाग लेती हैं।

10.1.6 धार्मिक जीवन में परिवर्तन

गोंड जनजाति का धर्म प्रकृति, आत्मा, अलौकिक भक्ति के विश्वास पर आधारित हैं। वे अपने प्राचीन रीति-रिवाजों के अनुसार पूजा अनुष्ठान का निर्वहन करते हैं। वर्तमान में हिन्दु जनजातियों के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दु देवी-देवताओं की पूजा तथा व्रत त्यौहार मनाने लगे हैं जिससे गोंड धार्मिक जीवन में हिन्दू धर्म का प्रभाव दृष्टिगत होता है।

10.1.7 नृत्य संगीत में परिवर्तन

गोंड जनजाति में जीवन संस्कार, आर्थिक कार्य, धार्मिक कार्य एवं मनोरंजन हेतु लोक गीत-संगीत का प्रचलन धीरे-धीरे कम हो रहा है। इसके स्थान पर फिल्मी गीत-संगीत, साउंड सिस्टम, टेलीवीजन, सीडी प्लेयर का प्रचलन बढ़ रही है। युवा वर्ग की रुचि लोक गीत-संगीत पर कम हो रही है।

10.1.8 शैक्षणिक स्थिति में परिवर्तन

गोंड जनजाति में शिक्षा की स्थिति में परिवर्तन आया है। पूर्व में बालिका शिक्षा की दर कम थी जिससे सुधार हो रहा है। पूर्व गोंड बालक प्राथमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करते थे वर्तमान में ग्राम में या समीपस्थ ग्राम में शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध होने के कारण उच्च स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

10.2 समस्याएं

गोंड जनजाति विकास हेतु प्रयासरत है, निम्न समस्याएं उनके विकास में बाधक सिद्ध हो रही हैं—

10.2.1 सामाजिक समस्याएं

I. अंधविश्वास—

गोंड जनजाति अंधविश्वास एवं पुरानी विचारधारा का दबाव अधिक है। नये विचार या नवाचार की स्वीकार्यता विलंब से प्राप्त होती है।

II. नशे की आदत—

गोंड जनजाति के सदस्यों में नशे की लत सामाजिक विकास में बाधक है।

गोंड स्त्री-पुरुषों द्वारा मादक पदार्थ के रूप में शराब तथा सल्फी रस, छिंद रस का सेवन किया जाता है। जो स्वास्थ्य के साथ-साथ आर्थिक, पारिवारिक तथा सामाजिक रूप में भी नुकसानदायक है।

10.2.2 आर्थिक समस्याएं

I. परिवार का विघटन तथा भूमि का बंटवारा—

गोंड परिवारों की कृषि भूमि असिंचित, पारम्परिक पद्धति पर आधारित एक फसली है। परिवार के विघटन तथा भूमि के बंटवारे के कारण प्रत्येक परिवार के पास अपर्याप्त कृषि भूमि होती है। जिसमें उत्पादित फसल वर्ष भर हेतु अपर्याप्त होता है।

II. बेरोजगारी—

गोंड परिवारों के सदस्यों को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने कारण बेरोजगार रहते हैं। शासकीय निर्माण कार्यों में भी कुछ दिन ही रोजगार मिल जाता है।

III. गरीबी एवं ऋणग्रस्तता—

गोंड परिवारों में आय अपर्याप्त होने कारण गरीबी व्याप्त है तथा जीवन संस्कार, कृषि रोगग्रस्तता में अधिक व्यय होने के कारण ऋणग्रस्तता भी बनी रहती है।

10.2.3 शैक्षणिक समस्याएं

गोंड जनजाति में शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। अधिकांश सदस्य प्राथमिक स्तर तक ही शिक्षित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री साक्षरता की दर निम्न है। कुछ गोंड शिक्षा ग्रहण करना समय की बर्बादी तथा आर्थिक नुकसान मानते हैं। इसी कारण बालकों को प्राथमिक शिक्षा के पश्चात् कृषि संबंधी कार्यों में तथा बालिकाओं को घर व छोटे भाई-बहनों की देखभाल में सलग्न कर देते हैं।

10.2.4 स्वास्थ्य समस्याएं

I. भ्रांतियां तथा अंधविश्वास—

गोंड जनजाति में स्वास्थ्य संबंधी अनेक भ्रांतियां तथा अंधविश्वास व्याप्त है। वे

रोग ग्रस्त होने की स्थिति में उपचार हेतु झाड़-फूंक एवं देशी इलाज को ही प्राथमिकता देते हैं।

II. अपर्याप्त चिकित्सा सेवाएं —

गोंड निवास क्षेत्रों में पर्याप्त सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण इन क्षेत्र में प्रशिक्षित डॉक्टरों द्वारा रोग का ठेके में उपचार किया जाता है अर्थात् किसी रोग के उपचार राशि पूर्व से तय कर लिया जाता है जो 500—1500 रुपये तक होता है, जिसे रोगी के परिवारजन किशतों में भुगतान करते हैं। इस प्रकार अयोग्य व्यक्ति के हाथो उपचार करवाकर गोंड सदस्य स्वास्थ्य आर्थिक शोषण का शिकार बनते हैं।

III. घर पर प्रसव—

गोंड परिवारों में प्रसव घर ही अप्रशिक्षित पांरपरिक दाई “सुईन” से करवाते हैं जिसे जज्जा-बच्चा दोनों को खतरा बना रहता है।

IV. गर्भवती स्त्रियों द्वारा दवाईयों का सेवन नहीं —

गर्भवती गोंड स्त्रियों द्वारा आयरन एवं कैल्शियम की गोली का पर्याप्त या नियमित सेवन नहीं किया जाता है।

